



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड शासन

**उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2019**

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2019**

विषय-सूची			
क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	राज्य की प्राप्तियाँ	1.2	7
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	16
7.	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	17
8.	संसाधनों का उपयोग	1.6	18
9.	व्यय की गुणवत्ता	1.7	23
10.	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	27
11.	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	32
12.	ऋण प्रबंधन	1.10	38
13.	राजकोषीय असंतुलन	1.11	43
14.	राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.12	47
15.	निष्कर्ष	1.13	47
16.	संस्तुतियाँ	1.14	48
अध्याय-2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण			
17.	प्रस्तावना	2.1	51
18.	विनियोग लेखे का सारांश	2.2	51
19.	वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन	2.3	53
20.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	61
21.	कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम	2.5	67
22.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	67

23.	सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	2.7(अ)	68
24.	असमाधानित व्यय	2.7(ब)	69
25.	बजट प्रक्रिया	2.8	70
26.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	2.9	72
अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन			
27.	उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	3.1	75
28.	सरकार द्वारा मूलतः वित्त पोषित संस्थानों से संबन्धित सूचनाओं की अप्राप्ति	3.2	76
29.	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.3	76
30.	लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज	3.4	77
31.	उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन	3.5	78
32.	उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य अनावंटित शेष	3.6	78
33.	निवेश	3.7	78
34.	भारत सरकार के लेखा मानक (आई जी ए एस) का कार्यान्वयन	3.8	78
35.	निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ	3.9	78

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1	राज्य की रूपरेखा	81
परिशिष्ट 1.1	भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना	82
	भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	82
परिशिष्ट 1.2	भाग अ: राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि	84
	भाग ब: राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	85
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	88
परिशिष्ट 1.4	भाग अ: वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	91
	भाग ब: 31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	94
परिशिष्ट 1.5	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक / अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	96
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्ययाधिक्य	97
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	97
परिशिष्ट 2.3	व्यय की तीव्रता	98
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	99

परिशिष्ट 2.5	₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी) / आधिक्य में परिणत निधियों का आधिक्य / अनावश्यक / अपर्याप्त पुनर्विनियोग	100
परिशिष्ट 2.6 (अ)	वर्ष 2017-18 के दौरान दत्तमत अनुदान से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	102
परिशिष्ट 2.6 (ब)	वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभारित विनियोग से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	104
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	105
परिशिष्ट 2.8	विभिन्न अनुदानों / विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	106
परिशिष्ट 2.9	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत /न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	107
परिशिष्ट 2.10	30/31 मार्च 2018 को दत्तमत्त अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	109
परिशिष्ट 2.11	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं	110
परिशिष्ट 2.12	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2017-18 के दौरान आहरित अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2018 तक) जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं हुई	112
परिशिष्ट 2.13	वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्तित रहा (अगस्त 2018 तक)	113

परिशिष्ट 2.14	वर्ष 2017-18 तक के लम्बित डी सी बिल (31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार)	114
परिशिष्ट 3.1	उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अलग से प्रत्येक वर्ष के लिये मुख्य शीर्ष एवं विभागवार विवरण	115
परिशिष्ट 3.2	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	116
परिशिष्ट 4.1	शब्दावली	117

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय 1 एवं अध्याय 2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं। जहाँ आवश्यक समझा गया उत्तराखण्ड सरकार से सूचना प्राप्त की गयी है।

अध्याय 3 वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन से संबन्धित सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों में की गयी निष्पादन लेखा परीक्षा व लेन-देनों की लेखा परीक्षा, सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों को पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं *चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ)* की सिफारिशों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आंकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रमुख प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय-3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

2013-14 में उत्तराखण्ड एक राजस्व अधिशेष राज्य था। हालांकि, राज्य में 2014-15 में ₹ 917 करोड़ (स रा घ उ का 0.57 प्रतिशत), 2015-16 में ₹ 1,852 करोड़ (स रा घ उ का 1.05 प्रतिशत), 2016-17 में ₹ 383 करोड़ (स रा घ उ का 0.20 प्रतिशत) का राजस्व घाटा था। 2016-17 के दौरान राजस्व घाटा घटकर ₹ 383 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान स्थिति खराब हो गई और राज्य को राजस्व का घाटा ₹1,978 करोड़ (स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत) था।

2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 1.78 प्रतिशत) 2014-15 में बढ़कर ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 प्रतिशत), 2015-16 के दौरान ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.48 प्रतिशत) और 2016-17 में ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.79 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान, चौ वि आ द्वारा तय स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत के ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत) पर राजकोषीय घाटा मानक लक्ष्य से अधिक था।

राज्य को 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्राथमिक घाटा हुआ था। प्राथमिक घाटा जो 2016-17 में ₹ 3,154 करोड़ (2015-16) से घटकर ₹ 1,744 करोड़ हो गया था, चालू वर्ष के दौरान बढ़कर ₹ 3,948 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटा के अस्तित्व से संकेत मिलता है कि राज्य को अपने उधार लिए गए धन पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए, राज्य सरकार ने अपनी ब्याज प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 में कुल ₹ 7,526 करोड़ में से ₹ 3,987 करोड़ उधार लेने के लिए मजबूर किया।

31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार का सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था जो विगत पाँच वर्षों के निवेश के 0.004 से 0.71 प्रतिशत की सीमा में था जबकि सरकार ने वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋणों पर 8.13 प्रतिशत औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

वर्ष 2017-18 का राजकोषीय उत्तरदायित्व का स रा घ उ से अनुपात (23.82 प्रतिशत), पिछले वर्ष के अनुपात (22.84 प्रतिशत) की तुलना में 0.98 प्रतिशत बढ़ गया। यह अनुपात चौँ वि आ द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित मापदण्ड (22.60 प्रतिशत) से 1.22 प्रतिशत अधिक था।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजीगत दत्तमत के अधीन छः अनुदानों तथा पूंजीगत भारित के अधीन एक विनियोग में ₹ 6,413.38 करोड़ का आधिक्य था, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना आवश्यक था।

आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 231.51 करोड़ की धनराशि, 2016-17 के दौरान (₹ 156.07 करोड़) एवं 2017-18 के दौरान (₹ 75.44 करोड़) की प्रतिपूर्ति अगस्त 2018 तक नहीं हुई थी।

वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक से सम्बन्धित आधिक्य व्यय ₹ 20,780.77 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2018 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिये गये ₹ 164.92 करोड़ के अनुदान से सम्बन्धित 102 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया था। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण

अथवा अनुदान दिये गये थे, के विवरण (अ) सहायता राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गयी थी एवं (स) निकाय और प्राधिकरण के कुल खर्च को दर्शाते हुए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जा सकती है, को यथायोग्य चिन्हित नहीं किया जा पा रहा था। प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि को उपयुक्त लघुशीर्ष में दर्शाने की बजाय लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' और '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाया गया था। इसने वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को विपरीत रूप से प्रभावित किया।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

8 अगस्त 2018 को सचिव, वित्त विभाग के साथ एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गयी और 19 दिसम्बर 2018 को एक बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। सरकार की प्रतिक्रियाओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (विश्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर), विशेष श्रेणी राज्य के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 14.60 प्रतिशत तथा 13.30 प्रतिशत के सापेक्ष 16.30 प्रतिशत तथा 14.70 प्रतिशत क्रमशः अधिक रही। इसके अलावा, उत्तराखण्ड राज्य का प्रति व्यक्ति स रा घ उ सीएजीआर (14.70 प्रतिशत) अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सीएजीआर (11.50 प्रतिशत) से काफी ऊपर था।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता किन्तु उच्च शिशु मृत्यु दर है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट-1**)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे तालिका-1.1 में प्रदर्शित है:

¹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.1: प्रचलित एवं स्थिर दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर


वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*
प्रचलित दर					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
स्थिर दर (आधार वर्ष - 2011-12)					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,34,182	1,41,278	1,51,901	1,62,451	1,73,444
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.5	5.3	7.5	6.9	6.8

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

* अंतिम * त्वरित * अग्रिम प्राक्कलन।

स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में 13.27 प्रतिशत से 2014-15 में 8.29 प्रतिशत तक तेजी से गिरी। तथापि, वर्ष 2015-16 से वृद्धि दर में सुधार हुआ यद्यपि 2017-18 में मामूली गिरावट थी। स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान अखिल भारतीय वृद्धि दर की तुलना में कम थी जिसने 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान सुधार प्रदर्शित किया।

चार्ट-1.1: राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की तुलना



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड 2019।


राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 जो कि तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) की सिफारिश पर 2011 में संशोधित किया गया, चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) (परिशिष्ट-1.2 भाग ब) की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 2016 में पुनः संशोधित किया गया। चौ वि आ द्वारा संस्तुत लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य का राजकोषीय प्रदर्शन प्रस्तर 1.1.2 में

वर्णित है। 8 जून 2017 को तैयार मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के माध्यम से राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) के आऊटकम इंडिकेटर्स भी **परिशिष्ट-1.2 (भाग ब)** में दिए गए हैं।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

सरकारी वित्त में समान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं:

चार्ट-1.2: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित।

तालिका-1.2, गत वर्ष (2016-17) के सापेक्ष चालू वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
भाग-अ: राजस्व					
स्वयं के कर राजस्व	10,897.31	10,164.93	सामान्य सेवाएँ	9,934.09	12,408.50
करेत्तर राजस्व	1,345.82	1,769.53	सामाजिक सेवाएँ	10,528.57	10,929.44
संघीय करों/शुल्कों का अंश	6,411.57	7,084.91	आर्थिक सेवाएँ	3,902.66	4,276.21
भारत सरकार से अनुदान	6,234.27	8,085.20	सहायता अनुदान और अंशदान	906.18	1,468.54
राजस्व प्राप्तियाँ	24,888.97	27,104.57	राजस्व व्यय	25,271.50	29,082.69
भाग-ब: पूँजीगत और अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	पूँजीगत परिव्यय	4,954.22	5,914.37
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	34.85	33.50	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	165.05	76.83
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,500.67	7,526.08	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	1,127.40	1,720.72
आकस्मिकता निधि से विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	(-)250.00
आकस्मिकता निधि	394.77	104.66	आकस्मिकता निधि	227.70	481.50
लोक लेखा प्राप्तियाँ [#]	27,855.02	37,571.25	लोक लेखा संवितरण [#]	26,607.34	35,366.30
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,464.88 [§]	2,785.95	अंतिम रोकड़ शेष	2,785.95	2,733.60
योग	61,139.16	75,126.01	योग	61,139.16	75,126.01


* इसमें अर्थापय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आँकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं। अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के निवल आँकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गए हैं।

§ वित्तीय लेखाओं 2016-17 प्रोफार्मा सुधार के कारण 2015-16 के अंतिम शेष से भिन्न।

2017-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि के संसाधनों एवं निधियों के उपयोग की संरचना

चार्ट-1.3 और चार्ट-1.4 में दी गई है:



स्रोत: वित्त लेखे।

पिछले वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के प्रमुख घटकों (चार्ट-1.3 और चार्ट 1.4) की तुलना संक्षेप में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: विभिन्न घटकों का सुधरना / खराब होना

सकारात्मक संकेतक	मापदंड जिनकी सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है
<ul style="list-style-type: none"> करेत्तर राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीगत व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक ऋण का पुनर्भुगतान में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं-कर में 7 प्रतिशत की कमी हुई। ऋण और अग्रिम की वसूली में 4 प्रतिशत की कमी हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्रोत: वित्त लेखे।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर और चौ वि आ की संस्तुतियाँ तालिका-1.4 में दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा चौ वि आ की संस्तुतियों के आधार पर एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन (दिसम्बर 2016) किया गया एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

तालिका-1.4: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	2017-18						
	चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी एस में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता		
					चौ वि आ के निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी एस प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)(₹ करोड़ में)	शून्य	42.25	38.28	(-)1,978.12	अगणनीय	(-)4,781.94	(-) 5,267.50
राजकोषीय घाटा / स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.25	2.50	2.49	3.65	(+) 12.31	(+) 46	(+) 46.59
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	22.60	21.49	24.12	23.82	(+) 5.40	(-) 10.84	(-)1.24

* राजस्व घाटे के लिए चौ वि आ एवं एफ आर बी एम, अधिनियम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2012-14 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व आधिक्य अनुरक्षित करने में सफल रही। 2014-15 के दौरान, राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे (₹ 917 करोड़) में बदल गया और वर्ष 2015-16 (₹ 1,852 करोड़) में भी जारी रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे में तेजी से कमी (₹ 383 करोड़) करने में सक्षम रहा था।

तथापि, चालू वर्ष के दौरान, राजस्व घाटे में एक बार पुनः वृद्धि ₹ 1,978.12 करोड़ (स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत) की हुई। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्ड 3.25 प्रतिशत से अधिक रहा और बकाया राजकोषीय दायित्व का स रा घ उ से अनुपात 23.82 प्रतिशत रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्ड 22.60 प्रतिशत से अधिक था।

1.1.3 बजट आंकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आंकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आंकलनों (ब आं) से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में जबकि अन्य जो नियंत्रण से बाहर हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में बजट आंकलन के सापेक्ष वास्तविकों को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट-1.5: वर्ष 2017-18 के बजट आंकलन एवं वास्तविक



स्रोत: बजट आंकलन एवं वित्त लेखों

उपरोक्त चार्ट-1.5 से यह स्पष्ट है कि :


- मुख्यतः कर राजस्व ₹ 3,615 करोड़ (26.23 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व ₹ 699 करोड़ (28.31 प्रतिशत) की वसूली में कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 4,488 करोड़ (14.21 प्रतिशत) से कम थी।
- राज्य सरकार वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय प्रतिबंधित करने में काफी हद तक सफल रही और

यह चालू वर्ष के लिए ब आं से ₹ 2,468 करोड़ (7.82 प्रतिशत) कम रहा।

- राज्य के पूँजीगत व्यय के रूप में ₹ 5,514 करोड़ का बजटीय अनुमान अपर्याप्त साबित हुआ, क्योंकि राज्य का पूँजीगत व्यय ₹ 5,914 करोड़ होने के कारण बजट अनुमान ₹ 400 करोड़ (7.25 प्रतिशत) से बढ़ गया।
- वर्ष 2017-18 में बजट आंकलन में निर्धारित ₹ 42 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अपेक्षा ₹ 1,978 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
- बजट अनुमान से राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹ 2,464 करोड़ और ₹ 2,887 करोड़ बढ़ जाने के कारण राज्य द्वारा राजकोषीय घाटा (₹ 5,471 करोड़) तथा प्राथमिक घाटे (₹ 1,061 करोड़) का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह इंगित करता है कि समस्त मापदण्डों में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी रही।

1.2 राज्य की प्राप्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे, *इसमें अर्थापय अग्रिम शामिल नहीं हैं।

*निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 2,205 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 37,571 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 35,366 करोड़)।


1.2.1 राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का

अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं / वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। **चार्ट-1.6** वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना को दर्शाता करता है।



*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण।



वर्ष 2017-18 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) वर्ष 2013-14 के ₹ 22,193 करोड़ से ₹ 14,677 करोड़ (66 प्रतिशत) बढ़कर, ₹ 36,870 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्ति में से छः प्रतिशत (₹ 2,205 करोड़) निवल लोक लेखे से प्राप्त हुआ जबकि 20 प्रतिशत (₹ 7,560 करोड़) एवं 74 प्रतिशत (₹ 27,105 करोड़) क्रमशः पूँजीगत प्राप्तियों एवं राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुआ।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ नौ प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 1,851 करोड़ (29.69 प्रतिशत), संघ के कर/शुल्क में राज्यांश के ₹ 673 करोड़ (10.50 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व के ₹ 424 करोड़ (31.50 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुआ। यह वृद्धि राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति ₹ 732 करोड़ (6.72 प्रतिशत) में कमी के कारण प्रतिभारित हो गया। चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ दो प्रतिशत घटीं जबकि निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की प्राप्ति से दो प्रतिशत बढ़ीं। (तालिका-1.2 का संदर्भ लें)।

1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की गयीं। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना / अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबन्धित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को देने के भारत सरकार के निर्णय के बाबजूद वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 1001.37 करोड़ (राज्य बजट से बाहर प्रेषित निधि-बिना जाँचे गए आँकड़े) सीधे उत्तराखण्ड राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जैसा कि तालिका-1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधियाँ (₹ करोड़ में)
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सी एस	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	508.47
2.	ई-न्यायालय चरण-II	महापंजीयक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	87.85
3.	केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित राज्य योजना	उत्तराखण्ड सरकार	86.20
4.	डिस्कोम को गैस आधारित विद्युत क्रय हेतु सहायता	उत्तराखण्ड विद्युत निगम लिमिटेड	76.16
5.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम पी एल ए डी एस	विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर	35.00
6.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	उत्तराखण्ड सरकार	31.00
7.	सोलर पावर- गिड इंटरैक्टिव	उत्तराखण्ड नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी	27.09
8.	विशेष श्रेणी राज्य के लिए राहत (उत्तरी पूर्वी के अलावा)	राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड	26.94
9.	विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश)	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	24.11
10.	अन्य (93)	विभिन्न अभिकरण	98.55
योग			1,001.37

स्रोत: वित्त लेखा -परिशिष्ट-VI।।


भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित कुल धनराशि ₹ 2,175.18 करोड़ (केंद्रीय निकाय एवं अन्य संस्थान जो राज्य सरकार के परिधि के बाहर हैं को सम्मिलित करते हुए) में से ₹ 1,001.37 करोड़ (46 प्रतिशत) की धनराशि राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की

संरचना और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट-1.8 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.8: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि में निरंतर वृद्धि देखी गई है। औसतन 11.57 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साथ यह 2013-14 में ₹17,321 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,105 करोड़ हो गया, जिसमें राज्य का स्वयं का राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण और सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 3,262 करोड़ (37.61 प्रतिशत), ₹ 3,512 करोड़ (98.29 प्रतिशत) और ₹ 3,010 करोड़ (59.31 प्रतिशत) उक्त अवधि के दौरान बढ़े। 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 44.03 प्रतिशत राज्य के स्वयं के राजस्व से आया।

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47.98 प्रतिशत औसतन योगदान राज्य के स्वयं कर की प्राप्तियों का रहा। स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को तालिका-1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-1.6: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	17,321	20,247	21,234	24,889	27,105
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	16.89	4.87	17.21	8.90
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	11.62	12.54	12.08	12.72	12.46
उत्प्लावकता अनुपात ²					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.75	2.04	0.55	1.53	0.79
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.11	1.61	1.40	1.44	(-)0.60

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2013-14 के दौरान 10 प्रतिशत थी। 2014-15 में वृद्धि दर 16.89 प्रतिशत तक बढ़ी परंतु 2015-16 में पुनः तेजी से गिरकर 4.87 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः तेजी से बढ़कर 17.21 प्रतिशत पर हो गई, परंतु वर्ष 2017-18 में पुनः घटकर 8.90 प्रतिशत हो गयी।

² परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

राजस्व उत्प्लावकता, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, में राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2013-14 से 2017-18 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। यह, राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि दर में कमी जो कि 2014-15 में 16.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हुई, के कारण वर्ष 2014-15 में 2.04 से घटकर 2015-16 में 0.55 हो गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में 1.53 तक वृद्धि हुई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह पुनः 0.79 तक घट गयी।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। 2017-18 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में चौ वि आ के अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	चौ वि आ अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशतता का अन्तर		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	14,487	13,780	13,450	10,165	(-) 29.83	(-) 26.23	(-) 24.42
करेत्तर राजस्व	2,678	2,469	2,477	1,770	(-) 33.91	(-) 28.31	(-) 28.54

जैसा कि तालिका-1.7 में प्रदर्शित है, चौ वि आ, ब आ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 4,322 करोड़, ₹ 3,615 करोड़ और ₹ 3,285 करोड़ कम रहा।

करेत्तर राजस्व (करे रा), चौ वि आ प्रोजेक्शन, ब आ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 908 करोड़, ₹ 699 करोड़ और ₹ 707 करोड़ कम था।

संक्षेप में, राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सके।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम को लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार पाँच साल की अवधि तक राज्यों को करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की गणना अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी, जैसा कि भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया गया हो। राजस्व

आँकड़े हेतु एक आधार वर्ष (2015-16) जीएसटी अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया था। उत्तराखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 4,961.22 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 4,835.70 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आँकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है, अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा (एसजीएसटी) कर, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का विभाजन और आईजीएसटी से अग्रिम अपरोक्ष। ₹ 4,835.70 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध, वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसटी के अन्तर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति, ₹ 5,259.37 करोड़ थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका-1.8: जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राज्य के प्रक्षेपित राजस्व के सापेक्ष संग्रहीत पूर्व-जीएसटी एवं एसजीएसटी, आईजीएसटी के अनंतिम आवंटन एवं भारत सरकार से प्राप्त आईजीएसटी की क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किए जाने वाला मासिक राजस्व	पूर्व संग्रहीत जीएसटी कर संग्रह	संग्रहीत एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम विभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कमी (-)/ आधिक्य (+)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}	8
जुलाई 2017	537.30	644.91	0	0	644.91	0	(-) 107.61	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
अगस्त 2017	537.30	237.31	0	0	237.31	0	299.99	
सितम्बर 2017	537.30	152.92	0	(-) 62.56	90.36	0	446.94	
अक्टूबर 2017	537.30	181.52	279.09	(-) 9.87	450.74	223.00	(-) 136.44	
नवम्बर 2017	537.30	162.53	307.25	27.98	497.76	460.00	(-) 420.46	
दिसम्बर 2017	537.30	191.38	263.41	38.10	492.89	0	44.41	
जनवरी 2018	537.30	168.28	268.76	80.07	517.11	183.00	(-) 162.81	
फरवरी 2018	537.30	165.32	273.75	240.05	679.12	0	(-) 141.82	
मार्च 2018	537.30	100.39	257.65	8.13	366.17	417.00	(-) 245.87	
कुल	4,835.70	2,004.56	1,649.91	321.90	3,976.37	1,283.00	(-) 423.67	

आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन

भारत सरकार, आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आई जी एस टी का आवंटन करती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा स) द्वारा अनंतिम/अग्रिम आवंटन के निस्तारण के ₹ 217 करोड़ की स्वीकृति इस शर्त के साथ की है कि अप्रैल 2018 से प्रारम्भ होने वाली दस समान मासिक किस्तों में मासिक रिटर्न के आधार पर आईजीएसटी के नियमित निस्तारण से वर्ष 2018-19 में राशि समायोजित की जायेगी। हालांकि, भा स द्वारा इन ₹ 217 करोड़ को नवंबर-दिसंबर 2017 हेतु राज्य को देय द्विमासिक क्षतिपूर्ति के सापेक्ष समायोजित किया गया। भा स द्वारा इस द्विमासिक हेतु क्षतिपूर्ति अवमुक्त नहीं की गई थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रहण तालिका-1.9 में दिया गया है।

तालिका-1.9: राज्य के स्वयं के संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं एस जी एस टी *	4,903 (14)	5,465 (11)	6,105 (12)	7,154 (17)	5,675 (-21)
राज्य आबकारी	1,269 (14)	1,487 (17)	1,735 (17)	1,906 (10)	2,262 (19)
वाहनों पर कर	369 (21)	394 (7)	471 (20)	556 (18)	816 (47)
स्टॉप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	687 (6)	714 (4)	871 (22)	778 (-11)	882 (13)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	128 (133)	279 (118)	195 (-30)	503 (158)	530 (5)
योग	7,356 (15)	8,339 (13)	9,377 (12)	10,897 (16)	10,165 (-7)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बढ़त / घटत की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

* एस जी एस टी के आँकड़े 2017-18 में सम्मिलित किए गए हैं।

राज्य का स्वयं का कर राजस्व सात प्रतिशत से घटकर 2016-17 में ₹10,897 करोड़ से 2017-18 में ₹ 10,165 करोड़ हो गया। बिक्री, व्यापार, आदि पर करों से राजस्व जिसमें कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शामिल है (55.83 प्रतिशत) ने, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, कर, बिक्री, व्यापार आदि के अन्तर्गत कुल संग्रह 21 प्रतिशत घटकर ₹ 7,154 करोड़ से ₹ 5,675 करोड़ हो गया। निम्न राजस्व संग्रहण के कारणों हेतु पारस्परिक रूप से अधिकांश मदों को निम्न कर-दर³ में आने; तथा राज्य में उत्पादित वस्तुओं से कर संग्रहण जो बाहर⁴ जा रहा है जैसा कि उत्तराखण्ड विनिर्माण आधिक्य राज्य है, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

चार्ट-1.9: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखण्ड के स्वयं के कर राजस्व से स रा घ उ की तुलना




³ जीएसटी से पूर्व, राज्य द्वारा समस्त वस्तुओं पर 5 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत कर आरोपित किया जाता था। जीएसटी के पश्चात, राज्य के लिए आरोपणीय कर की दरें 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत हैं। इनमें से अधिकांश मदें 2.5 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की दरों के अन्तर्गत आते हैं।

⁴ जीएसटी से पूर्व, राज्य में मूल/उत्पादन वाले राज्य में कर संग्रहण किया जाता था बजाये इसके कि वस्तु का उपभोग राज्य में हुआ था या नहीं। परन्तु, जैसा कि उत्तराखण्ड विनिर्माण आधिक्य राज्य है, राज्य में उत्पादित वस्तुओं से संग्रहीत होने वाला समस्त कर बाहर जा रहा है।

उत्तराखण्ड का स्वयं का कर एवं स रा घ उ अनुपात हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड का मातृ राज्य) के अनुपात से कम है। यह अनुपात हरियाणा और पंजाब राज्यों से भी कम होता है।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.10 में दी गई है।



चालू वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹ 423.71 करोड़ (31.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः ऊर्जा (₹ 156.13 करोड़; 120.03 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 104.64 करोड़; 31.22 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 104.66 करोड़; 269.05 प्रतिशत) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 26 करोड़; 31.39 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान करेत्तर प्राप्तियों में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 439.81 करोड़; 24.85 प्रतिशत), वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 312.20 करोड़; 17.64 प्रतिशत), ऊर्जा (₹ 286.21 करोड़; 16.17 प्रतिशत) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 143.56 करोड़; 8.11 प्रतिशत) का मुख्य योगदान रहा।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.10 में प्रदर्शित है।

तालिका-1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	981	944	1,043	824	714
राज्य योजना के लिए अनुदान	3,558	4,083	1,173	1,532	1,621
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	13	99	609	843	76
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	523	1,879	2,479	3,035	4,391
राज्य को अन्य अनुदान (जी एस टी क्षतिपूर्ति)	--	--	--	--	1,283
योग	5,075	7,005	5,304	6,234	8,085
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतता वृद्धि / कमी	14	38	(-)24	18	30
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	29	35	25	25	30

भा स से सहायता अनुदान 2013-14 में ₹5,075 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 7,005 करोड़ (38.03 प्रतिशत) हो गया, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान यह ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) से घट गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 और 2017-18 में, भा स से अनुदान प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 930 करोड़ (17.53 प्रतिशत) और ₹ 1,851 करोड़ (29.69 प्रतिशत) बढ़ीं। 2017-18 में वृद्धि को राज्य में जीएसटी (01 जुलाई 2017 से प्रभावी) लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान के बदले प्राप्त ₹ 1,283 करोड़ की क्षतिपूर्ति और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के विचलन में वृद्धि (₹ 89 करोड़) एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 1,356 करोड़) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

चौ वि आ ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय करों में राज्यांश 2015-16 से 42 प्रतिशत कर दी जाए। फलस्वरूप, केंद्रीय करों (सेवा कर को छोड़कर) की शुद्ध निवल आय में राज्यांश 1.05 प्रतिशत पर तय किया गया है।

तालिका-1.11: केंद्रीय कर के राज्यांशों के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

संघ कर में राज्य के हिस्से का घटक	चौ वि आ की अवधि			2016-17 की तुलना में 2017-18 में वृद्धि / कमी	
	2015-16	2016-17	2017-18	राशि	प्रतिशत में
निगम कर	1,677.14	2,056.02	2,169.91	113.89	5.54
सीमा शुल्क	854.57	884.42	715.10	-169.32	-19.14
आयकर	1,162.76	1,428.94	1,832.34	403.40	28.23
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4.15	0.02	0	-0.02	-100.00
सेवा कर	919.96	1,027.52	804.25	-223.27	-21.73
संपत्ति कर	0.43	4.71	-0.07	-4.78	-101.49
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	714.15	1,009.94	747.50	-262.44	-25.99
सीजीएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं	100.52	100.52	लागू नहीं
आईजीएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं	715.36	715.36	लागू नहीं
कुल योग	5,333.16	6,411.57	7,084.91	673.34	10.50
राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण	25.12	25.76	26.14		
लागू नहीं: 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम के लागू होने के कारण लागू नहीं है।					

स्रोत: वित्त लेख।

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, पिछले तीन वर्षों में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण बढ़ रहा है।

1.3.4 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का सदुपयोग

चौ वि आ ने दिसम्बर 2014 में 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की। भारत सरकार ने चौ वि आ की सिफारिशों पर राज्य सरकार को ₹ 3,855.50 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों तथा आपदा राहत निधि को 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपभोग करने के लिए आवंटित किया। भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान अवमुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति तालिका-1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.12: अनुदान का संस्तुत हस्तांतरण एवं वास्तविक अवमुक्ति

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	चौ वि आ की संस्तुति 2015-16 से 2019-20	चौ वि आ की संस्तुति 2017-18	2017-18 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	2017-18 के दौरान राज्य द्वारा किया गया हस्तांतरण
1. स्थानीय निकाय				
(अ) पं रा सं के अनुदान	1,882.68	366.98	325.20	325.20
(i) सामान्य अनुदान	1,694.40	325.20	325.20	325.20
(ii) निष्पादन अनुदान	188.28	41.78	00	00
(ब) न स्था नि के अनुदान	815.82	161.47	107.56	107.56
(i) सामान्य अनुदान	652.65	125.26	107.56	107.56
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	36.21	00	00
योग (1)	2,698.50	528.45	432.76	432.76
2. आपदा राहत निधि	1,157.00	231.00	207.90	231.00*
महायोग	3,855.50	759.45	640.66	663.76

स्रोत: चौ वि आ आख्या एवं वित्त लेखे।

(* ₹ 207.90 करोड़ के केंद्रान्श के साथ ₹ 23.10 करोड़ का राज्यांश भी जारी किया गया।)

चौ वि आ द्वारा स्वीकृत अनुदान में से दो भाग-सामान्य अनुदान एवं निष्पादन अनुदान यथावत ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका को स्वीकृत की गयी। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य को न स्था नि के अन्तर्गत भारत सरकार से अपना पूर्ण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, पं रा सं और न स्था नि द्वारा किया गया वास्तविक उपयोग भी राज्य के विभाग से प्राप्त नहीं हो पाया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कम्पनियों / कॉरपोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती हैं। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ शामिल हैं जैसा कि तालिका-1.13 में वर्णित है।

तालिका-1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	4,108	4,754	6,825	6,536	7,560	
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	180	135	--	--	--	
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	55	46	27	35	34	
लोक ऋण प्राप्तियाँ	बाजार ऋण	2,500	2,400	3,900	5,450	6,660
	अन्य आंतरिक संसाधन	1,338	2,112	2,801	905	752
	भारत सरकार से	35	61	97	146	114
	कुल	3,873	4,573	6,798	6,501	7,526
	(94.28)	(96.19)	(99.60)	(99.46)	(99.55)	

कोष्ठकों में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियाँ, राज्य की ऋण एवं गैर ऋण प्राप्तियों से मिलकर बनी होती है जिसकी औसत वृद्धि दर 2013-14 से 2017-18 तक 18.60 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का पूँजीगत प्राप्तियों में प्रमुख भाग है तथा 2013-14 से 2017-18 के दौरान यह 94.28 से 99.60 प्रतिशत के बीच थी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ वर्ष 2013-14 के बाद, 2013-14 के ₹ 55 करोड़ से 2015-16 के ₹ 27 करोड़ तक सतत घटी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान वसूलियों में (₹ आठ करोड़) की बढ़त देखने को मिली परंतु वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें मामूली गिरावट (₹ एक करोड़) आयी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2013-14 से 2017-18 की अवधि में आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार मुख्य स्रोत बने रहे। ये 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 3,653 करोड़ (94.32 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,025 करोड़ (15.77 प्रतिशत) से बढ़ी।

बाजार उधारियों में प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तर 1.10.1 में है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। **भा स से ऋण (₹ 728.58 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 41,014.94 करोड़) का केवल 1.78 प्रतिशत है।** वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की प्राप्तियाँ तीन गुना से अधिक बढ़कर ₹ 35 करोड़ से ₹114 करोड़ हो गईं। चालू वर्ष के दौरान, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 32 करोड़ (21.92 प्रतिशत) घटी है।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन-देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार लोक धन के लिए बैंकर / ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। **तालिका-1.14** लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा वितरणों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.14: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा प्राप्ति)	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,528.82	1,840.79	1,116.13	1,221.32	412.69	619.47
आरक्षित निधियाँ	280.00	232.34	356.63	127.26	(-) 76.63	105.08
जमा एवं अग्रिम	3,276.70	4,727.47	3,412.01	4,008.79	(-) 135.31	718.68
उचन्त एवं विविध	29,078.90	31,936.91	28,028.62	31,206.55	1,050.28	730.36 ⁵
प्रेषण	(-) 6,309.40	(-) 1,166.25	(-) 6,306.05	(-) 1,197.62	(-) 3.35	31.37
योग	27,855.02	37,571.26	26,607.34	35,366.30	1,247.68	2,204.96

निवल लोक लेखे प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से अल्प बचत ,भविष्य निधि तथा जमा और अग्रिमों के तहत शुद्ध संग्रह में वृद्धि के कारण हुई।


1.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अन्तर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है जबकि इसी समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट-1.11, पाँच वर्षों (2013-14 से 2017-18) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' के सन्दर्भ में चार्ट-1.11 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.11: पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की संरचना




⁵ इसमें विभागीय शेष, स्थायी नकदी के अन्तर्गत शेष राशि और नकद शेष निवेश खाते शामिल नहीं हैं।

कुल व्यय (कु व्य) वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 14.86 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान कुल व्यय में ₹ 4,683 करोड़ (15.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। यह मोटे तौर पर राजस्व व्यय (रा व्य) में ₹ 3,811 करोड़, पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) में ₹ 960 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था, जो कि ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 88 करोड़ की मामूली कमी के कारण प्रतिभारित हुई थी।

राजस्व व्यय (रा व्य): चालू वर्ष के दौरान रा व्य ₹ 29,083 करोड़ कु व्य (₹ 35,074 करोड़) का 82.92 प्रतिशत था। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में रा व्य 2017-18 में ₹ 3,811 करोड़ अधिक था, यह कु व्य (₹ 35,074 करोड़) का 82.92 प्रतिशत लेखाबद्ध हुआ जो कि 2016-17 में 83.16 प्रतिशत के संगत आँकड़े की तुलना में कम था। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान रा व्य में वृद्धि (i) सामान्य सेवाएँ (₹ 2,474 करोड़), जिसमें ₹ 1,863 करोड़ एवं ₹ 264 करोड़ के पेंशन एवं ब्याज भुगतान सम्मिलित थे (ii) सहायता अनुदान एवं अशंदान (₹ 562 करोड़) (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 401 करोड़) तथा (iii) आर्थिक सेवाएँ (₹ 374 करोड़) में व्यय वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय (पूँ व्य): कुल पूँ व्य 2013-14 में ₹ 3,712 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 4,217 करोड़, 2016-17 में ₹ 4,954 करोड़, और 2017-18 में ₹ 5,914 करोड़ हो गया। तथापि, कु व्य के प्रतिशत के अनुसार, पूँ व्य 2013-14 में 18.37 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 16.86 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय क्रमशः ₹ 400 करोड़ और ₹ 362 करोड़ से ब आं और एम टी एफ पी एस लक्ष्यों को पार कर गए।



कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्ष अंश ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान बदलाव की प्रवृत्ति दर्शायी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का भाग औसतन 82.25 प्रतिशत था, जबकि 2014-15 में पूँजीगत व्यय का हिस्सा 18.81 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 16.86 प्रतिशत हो गया। कुल खर्च में ऋण और अग्रिम का हिस्सा भी 2013-14 में 1.38 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 0.22 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका-1.15 एवं चार्ट- 1.13 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है:


तालिका-1.15: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
					ब आं	वास्तविक	ब आं के सापेक्ष वास्तविक में भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन एवं पारिश्रमिक	6,431 (37.13)	7,309 (36.10)	7,848 (36.96)	8,670 (34.83)	11,860	10,496 (38.72)	(-) 11.50
ब्याज भुगतान	2,056 (11.87)	2,406 (11.88)	2,971 (13.99)	3,723 (14.96)	4,410	3,987 (14.71)	(-) 9.59
पेंशन पर व्यय	2,131 (12.30)	2,452 (12.11)	2,628 (12.38)	3,170 (12.74)	4,272	5,033 (18.57)	17.81
उपदान	24 (0.14)	209 (1.03)	211 (0.99)	208 (0.84)	260	186 (0.69)	(-) 28.46
कुल वचनबद्ध व्यय	10,642 (61.44)	12,376 (61.13)	13,658 (64.32)	15,771 (63.37)	20,802	19,702 (72.69)	(-) 5.29
अन्य घटक	5,574 (32.18)	8,788 (43.40)	9,428 (44.40)	9,501 (38.17)	10,749 (34.02)	9,381 (34.61)	(-) 12.73
कुल राजस्व व्यय	16,216	21,164	23,086	25,272	31,551	29,083	(-) 7.82
राजस्व प्राप्तियाँ	17,321	20,247	21,234	24,889	31,593	27,105	(-) 14.21

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

चार्ट-1.13: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय



वर्ष 2013-14 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 61.44 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह 11.25 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ गया तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 72.69 प्रतिशत था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि में इसमें ₹ 9,060 करोड़ की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय का स्तर अधिक होने के कारण सरकार द्वारा विकास गतिविधियों पर व्यय करने के लिए बहुत कम गुंजाइश है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 10,496 करोड़), रा व्य (₹ 29,083 करोड़) का 36.09 प्रतिशत लेखाबद्ध था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान वेतन पर व्यय में औसत 12.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 11,860 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के अधिअनुमानित ब आं (12 प्रतिशत) को राजकोषीय सुधारपथ में पूर्णतया सही नहीं किया गया तथा एम टी एफ पी एस (₹ 11,213 करोड़) में अनुमानित प्रक्षेपण भी 2017-18 के वास्तविक आँकड़ों की तुलना में अधिअनुमानित (छ: प्रतिशत) था।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2017-18 में पेंशन पर व्यय ₹ 5,033 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 18.57 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 58.77 प्रतिशत बढ़ा और चौ वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए ₹ 3,227 करोड़ के मानकीय निर्धारण से 55.97 प्रतिशत अधिक था (चौ वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.5)।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अंशदान (₹ 308.76 करोड़) और समरूप सरकारी अंशदान (₹ 308.76 करोड़) दोनों धनराशियों ₹ 617.52 करोड़ को मुख्य शीर्ष-8342-117-कर्मचारियों के लिये “मूर्त अंशदान योजना” के अन्तर्गत इंड्राज किया गया है। ₹ 637.05 करोड़ की कुल धनराशि नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को हस्तांतरित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विरासत अवशेष⁶ ₹ 170.38 करोड़ लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए “मूर्त अंशदान योजना” के अन्तर्गत इंड्राज किया गया। वर्ष के दौरान, ब्याज की कोई भी धनराशि निधि में जमा नहीं की गई। तथापि, ₹ 19.53 करोड़ एन एस डी एल को हस्तांतरित किये गये तथा ₹ 150.85 करोड़ निधि में शेष रहे। एकत्र न की गयी, मैचिंग न की गयी और अहस्तांतरित धनराशि, अर्जित ब्याज सहित, योजना का अन्तर्गत बकाया देयताओं को दर्शाता है।

⁶ विरासत अवशेष योजना की घोषणा तिथि (1 अक्टूबर 2005) एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की सूचना तिथि (31 मार्च 2008) की अवधि के मध्य की धनराशि है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका-1.15 में दर्शित है, 2013-14 से 2017-18 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पुराने ऋणों के कारण 93.92 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतानों में आन्तरिक ऋणों⁷ (₹ 3,360 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 522 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 49 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 56 करोड़) पर ब्याज शामिल थे। चौँ वि आ द्वारा निर्धारित 11.63 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 3,987 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 14.71 प्रतिशत था। तथापि, यह राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 4,410 करोड़ एवं ₹ 4,179 करोड़ से क्रमशः ₹ 423 करोड़ एवं ₹ 192 करोड़ कम था।

उपदान

उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखा, खण्ड-II के परिशिष्ट-II के अनुसार, सरकार द्वारा सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 23.63 करोड़ (2013-14), ₹ 208.71 करोड़ (2014-15) ₹ 211.38 करोड़ (2015-16), ₹ 207.99 करोड़ (2016-17) एवं ₹ 185.93 करोड़ (2017-18) थे। कुल राजस्व प्राप्तियों में उपदान का अंश 2013-14 में 0.14 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 0.69 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान दी गयी उपदान की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 22.06 करोड़ (10.61 प्रतिशत) की कमी देखी गई। 2014-15 से 2017-18 की अवधि में उपदान राशि का मुख्य प्राप्तकर्ता खाद्य भंडारण और भंडारण था।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता की राशि तालिका-1.16 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.16 : स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ब आं	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	431.05	714.27	615.73	650.63	526.88	464.93
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	321.19	380.17	334.11	397.77	976.05	753.33
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	347.21	301.10	432.46	508.40	760.90	715.21
विकास अभिकरण	562.37	891.07	828.94	953.33	827.54	546.93
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	108.99	335.89	338.94	319.17	457.42	252.98
ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	6.88	5.11	18.63	18.12	11.98	11.78

(₹ करोड़ में)

⁷ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	111.16	245.18	270.21	337.78	556.35	476.94
सहकारिता	11.83	4.64	4.12	5.07	6.61	3.73
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	10.43	28.58	27.09	32.00	42.82	38.77
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	49.33	68.80	1.52	30.69	56.09	46.92
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	285.85	412.94	514.86	446.96	405.45	232.65
अन्य संस्थाएँ	80.27	127.67	209.16	150.30	566.87	119.64
योग	2,326.56	3,515.42	3,595.77	3,850.22	5,194.96	3,663.81
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	14.35	16.61	15.58	15.23	16.47	12.60

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के वी एल सी ऑफ़िसें।

वर्ष 2013-14 में ₹ 2,326.56 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में ₹ 3,663.81 करोड़ के कारण स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 1,337.25 करोड़ (57.48 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 186.41 करोड़ कम हुई। चालू वर्ष के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और विकास एजेंसियों ने मिलकर कुल वित्तीय सहायता का 27.62 प्रतिशत हिस्सा लिया।

चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ (₹ 355.56 करोड़), जिला परिषद (₹ 206.81 करोड़), कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण (₹ 139.16 करोड़) तथा सचिवालय आर्थिक सेवाएँ व पर्यटन (₹ 16.23 करोड़) के कारण हुई। तथापि, अन्य संस्थानों जैसे विकास अभिकरण (₹ 406.40 करोड़), शैक्षिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) (₹ 185.70 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 214.31 करोड़), चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ (₹ 66.19 करोड़) और अन्य संस्थाएँ (₹ 30.66 करोड़) के संबंध में अवमुक्त अनुदानों में गिरावट हुई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्यें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ।

तालिका-1.17 एवं चार्ट-1.14 वर्ष 2013-14, 2016-17 और 2017-18 में विशेष श्रेणी राज्यों (वि श्रे रा) में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय

(पूँ व्य), शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता⁸ को विश्लेषित करती है।


तालिका-1.17: 2013-14, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/ स रा घ उ	वि व्य ⁸ /स व्य	सा क्षे व्य /स व्य	आ क्षे व्य /स व्य	पूँ व्य /स व्य	शिक्षा/ स व्य	स्वास्थ्य/ स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	23.50	64.00	37.60	29.30	13.80	18.30	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2013-14	13.55	65.41	40.28	23.76	18.37	21.35	4.68
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	27.40	61.40	34.20	30.00	13.60	16.60	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2016-17	15.54	64.09	37.76	25.79	16.30	18.91	4.60
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	25.80	58.90	34.90	28.90	15.50	18.20	6.20
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2017-18	16.12	58.14	34.26	23.66	16.86	18.85	4.28

स व्य: सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय।
 # विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
 स्रोत: संबन्धित वर्ष के वित्त लेखे और आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक का कार्यालय।

चार्ट-1.14: वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिशतता में सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकता



उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2013-14 के साथ 2016-17 तथा 2017-18 में औसत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- 2016-17 एवं 2017-18 में सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2013-14 के सापेक्ष क्रमशः 1.99 एवं 2.57 प्रतिशतता बिन्दु अधिक था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात में 2016-17 एवं 2017-18 में विकासपरक व्यय (वि व्य) 2013-14 के सापेक्ष क्रमशः 1.32 एवं 7.27 प्रतिशतता बिन्दु कम था।
- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र व्यय का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 2.52 एवं 6.02 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।

⁸ उस श्रेणी में व्यय का अनुपात सकल व्यय (ए ई) के लिए।

- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष 2016-17 में आर्थिक क्षेत्र व्यय, सकल व्यय के अनुपात में 2.03 प्रतिशतता बिन्दु अधिक था जबकि 2017-18 में यह 0.10 प्रतिशतता बिन्दु कम हुआ।
- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 2.07 एवं 1.51 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।

आगे, विशेष श्रेणी राज्यों एवं उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के औसत का वर्ष 2013-14 से तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात के रूप में सकल व्यय (स व्य) विगत तीन वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना कम रहा।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2013-14 और 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था। तथापि, 2017-18 के दौरान यह थोड़ा कम था।
- विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में 2013-14 और 2016-17 के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय अधिक था। तथापि, 2017-18 के दौरान यह कम था।
- विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक क्षेत्र का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- राज्य सरकार द्वारा 2013-14, 2016-17 और 2017-18 में पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँ व्य का सकल व्यय से अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक है।
- विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात के रूप शिक्षा क्षेत्र में व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था।
- विगत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स⁹ के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय¹⁰ हेतु धन के आवंटन में वृद्धि के अतिरिक्त, व्यय की दक्षता, पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/या स रा घ उ) के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। जहाँ, एक ओर तालिका-1.18 चालू

⁹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

¹⁰ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वर्ष व गत वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं तालिका-1.19, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल व्यय (कु व्य) में विकासपरक राजस्व व्यय (वि रा व्य) का अंश औसतन 47 प्रतिशत रहा। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान वि रा व्य ने गत वर्ष की तुलना में 5.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की परंतु कुल व्यय में इसके अंश में चार प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2014-15 में विकासपरक पूँजीगत व्यय (वि पू व्य) में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,151 करोड़ की वृद्धि हुई, परंतु वर्ष 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 के दौरान यह ₹ 619 करोड़ (13.10 प्रतिशत) घट गया। इसमें 2016-17 के दौरान पुनः ₹ 776 करोड़ (18.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह प्रवृत्ति 2017-18 में भी जारी रही। तथापि, कुल व्यय में वि पू व्य का अंश 2017-18 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा मामूली एक प्रतिशत घट गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि में विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि लगभग 54.29 प्रतिशत तक हुई और कु व्य में इसका अंश 2013-14 में 65 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 58 प्रतिशत हो गया।

तालिका-1.18: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ब आं	वास्तविक
विकासपरक व्यय	13,216(65)	17,955(68)	18,098(66)	19,477(64)	22,108(59)	20,391(58)
(अ) विकासपरक राजस्व व्यय	9,366(46)	13,081(49)	13,910(50)	14,431(47)	17,514(47)	15,205(43)
(ब) विकासपरक पूँजीगत व्यय	3,574(18)	4,725(18)	4,106(15)	4,882(16)	4,342(11)	5,110(15)
(स) विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	276(01)	149(01)	82(01)	164(01)	252(1)	76(--)

कोष्ठक के आँकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.19: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2016-17			2017-18		
	कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	3.54	75.80	0.06	2.81	79.32	0.03
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.70	60.06	0.35	3.95	63.03	0.32
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	30.06	1.07	0.23	54.96	2.44	0.26
सा से पर कुल व्यय	8.21	64.48	0.13	10.62	70.65	0.10
आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	32.46	40.30	0.90	27.18	39.34	1.29
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	56.37	77.20	11.05	43.60	78.52	8.85
विद्युत एवं ऊर्जा	87.88	0.38	0.00	87.80	0.66	0.00
परिवहन	81.48	7.13	1.69	86.60	11.32	3.93
आ से पर कुल व्यय	53.47	41.16	2.48	49.42	42.53	2.62
सा से + आ से पर कुल व्यय	26.15	58.66	0.72	24.95	63.64	0.73

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2017-18 में, वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 5,514.38 करोड़ पूँजीगत व्यय की वचनबद्धता दर्शायी। तथापि, सरकार ने ब आं से 7.25 प्रतिशत (₹ 399.99 करोड़) अधिक की राशि को पूँजीकृत किया। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में भी पूँजीगत व्यय में ₹ 960.15 करोड़ की वृद्धि हुई।

2017-18 के दौरान 2016-17 की तुलना में सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में 6.17 प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि हुई। तथापि, आर्थिक सेवाओं में 1.37 प्रतिशतता बिन्दु की मामूली वृद्धि प्रदर्शित हुई। सामाजिक सेवाओं के परिचालन एवं मरम्मत के अन्तर्गत व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में गिरावट हुई है और गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं में स्थिति लगभग समान रही।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2018 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका-1.20 में दी गयी है।

तालिका-1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2018 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	260	1,090.46	1,141.75	51.29	631.94

*राज्य सरकार द्वारा 31.03.2018 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेख।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी ने न केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, बल्कि राज्य को अभिप्रेत लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित किया।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2018 को, सांघिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों (तालिका-1.21) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और पिछले पाँच वर्षों में निवेश का 0.004 से 0.71 प्रतिशत का प्रसार रहा, जबकि सरकार ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान 8.13 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

तालिका-1.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	2,677	2,809	2,914	3,124	3,209
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.30	0.11	5.10	15.21	22.69
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.004	0.18	0.49	0.71
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.57	7.73	8.19	8.90	8.27
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.56	7.73	8.01	8.41	7.56
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण काल्पनिक हानि	202.38	217.14	233.41	262.73	242.60

स्रोत: वित्त लेख।

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार की उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों पर निवेश पर अंतर के कारण निवेश पर प्रतिफल पर ₹ 1,158.26 करोड़ का काल्पनिक नुकसान उठाया है। मुख्य निवेश (25 प्रतिशत से अधिक) (i) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,306.03 करोड़) (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,167.86 करोड़) एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (₹ 471.05 करोड़) में थे। वर्ष 2017-18 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 2,568.72 करोड़ की संचित हानि को वहन किया जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2017-18 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार क्रमशः ₹ 570.55 करोड़ एवं ₹ 133.79 करोड़ का लाभ संचित किया था।

उत्तराखण्ड राज्य में कुल 30 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनमें से 22 सार्वजनिक उपक्रम क्रियाशील हैं और आठ अक्रियाशील हैं। क्रियाशील 22 सार्वजनिक उपक्रमों के बीच, नौ सार्वजनिक उपक्रमों ने हानि वहन की और उन्हें ₹ 3,184.91 करोड़ का घाटा हुआ। चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने अक्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों में कोई ऋण नहीं दिया है और न ही कोई निवेश किया है। इसके अलावा, 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में ₹ 22.00 करोड़ का निवेश किया और दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कि डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को ₹ 56.17 करोड़ का अनुदान दिया। 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में, सभी तीन सार्वजनिक उपक्रमों को संचित हानि हो रही थी।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में ₹ 0.50 करोड़¹¹ का निवेश किया और चार सार्वजनिक उपक्रमों को ₹ 58.22 करोड़¹² की अनुदान / उपदान प्रदान की, जिनके खातों में बकाया थे।

¹¹ उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम।

¹² दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को दिये ₹ 56.17 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें 31 मार्च तक संचित हानि हो रही थी; उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम - ₹ 1.80 करोड़ और उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम - ₹ 0.25 करोड़।

1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। राज्य में तीन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम हैं। इसमें से केवल एक कंपनी, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की ने 2011-12 तक अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा खातों को अंतिम रूप दिया गया है, विभागवार स्थिति शुद्ध लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी का प्रतिफल **परिशिष्ट-1.5** में दिया गया है। तीन कंपनियों के अंतिम लेखाओं की जाँच में पाया गया है कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी तथा देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला, रुड़की के 2011-12 तक के खातों को अंतिम रूप दे दिया था। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं / संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका-1.22**, 31 मार्च 2018 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.22: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	
			ब आं	वास्तविक
राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम का प्रारम्भिक शेष	1,046.36	1,596.45 [#]	--	1,726.65
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	83.15	165.05	252.35	76.83
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	27.20	34.85	253.05	33.51
अंतिम शेष	1,102.31	1,726.65	--	1,769.97
निवल वृद्धि	55.95	130.20	--	43.33
ब्याज प्राप्तियाँ	0.14	0.17	--	0.08
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.01	0.01	--	0.005
बकाया शेष जिनकी निबंधन एवं शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			
स्रोत : वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तरखंड सरकार)।				
# उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य विभाजन न किए गए शेष भाग के कारण गत वर्ष के अन्तिम शेष से भिन्न।				

सरकार ने वर्ष 2016-17 में दिये अग्रिम ऋण ₹ 165.05 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 76.83 करोड़ का अग्रिम ऋण दिया, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 88.22 करोड़ (53.45 प्रतिशत) कम था। यह कमी मुख्य रूप से थी क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 98.40 करोड़ "फसल कर्म के लिए ऋण" के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए अग्रिम के रूप में दिया गया था, के सापेक्ष 2017-18 के दौरान ₹ 5.44 करोड़ दिया। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने भी पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1.34 करोड़ की मामूली कमी दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों में चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान प्रतिशत, राज्य सरकार के अवशेष राजकोषीय दायित्व का 7.69 प्रतिशत था, जो कि विगत वर्ष से कम थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों / सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य, जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था, के सापेक्ष केवल 0.005 प्रतिशत थी।

31 मार्च 2018 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,769.97 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 899.79 करोड़), परिवहन (₹ 148.53 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 164.50 करोड़) क्षेत्र थे।

कुल बकाया ऋणों की समीक्षा से प्रकाश में आया की मार्च 2018 के अंत तक चार क्षेत्रों द्वारा जैसा कि तालिका-1.23 में वर्णित है, विगत पाँच वर्षों में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया और एक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ) में पुनर्भुगतान बहुत कम था, जबकि आगे ऋणों को दिया गया जिस कारण बकाया अवशेष वर्षों के साथ बढ़ा।

तालिका-1.23: लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	47.89	47.89
3.	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	660.81	795.99	797.92	895.31	899.79
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	9.53	9.53	503.68 [#]	503.16
5.	परिवहन	135.11	135.11	136.11	140.29	148.53
योग		867.01	1,002.19	1,005.12	1,606.64	1,618.84

[#] अनावंटन अवशेषों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य संविभाजित किये जाने के कारण ₹ 494.15 करोड़ की वृद्धि।

1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका-1.24 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.24: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	31 मार्च 2018 को
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	1,157.65	1,171.00
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	1,157.65	1,171.00
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	451.51	385.49
योग (अ)	1,609.16	1,556.49
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 11.02	(-) 10.70
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधियों का निवेश	1,188.62	1,188.62
योग (ब)	1,176.79	1,177.11
महायोग (अ) + (ब)	2,785.95	2,733.60

स्रोत: वित्त लेखे।

अन्तिम रोकड़ शेष (रो शे) पिछले वर्ष (₹ 2,785.95 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (₹ 2,733.60 करोड़) के अन्त में ₹ 52.35 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,188.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। नैमित्तिक निधि की यह राशि जो ऋण शोधन निवेश लेखा (₹ 1,153.62 करोड़) एवं प्रत्याभूति मोचन कोष (₹ 35 करोड़) से मिलकर बनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश की गई। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम दिनों (275 दिन) के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 90 (विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य को ₹ 5.24 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में मुख्य शीर्ष '8670-चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹1,817.09 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।


2017-18 के दौरान, राज्य में वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 1,609.16 करोड़ का सामान्य रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए खुले बाजार से ₹ 6,660 करोड़ उधार लिए। वर्ष के अंत में सामान्य रोकड़ शेष राशि ₹ 1,556.49 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 2017-18 के दौरान रोकड़ शेष निवेश खाते पर प्राप्त ब्याज ₹ 14.05 करोड़ (3.11 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपने बाजार उधार पर 8.27 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसलिए, यह राज्य के वित्तीय हित में होता कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध रोकड़ शेष राशि (आर बी आई के पास

अनिवार्य न्यूनतम रोकड़ शेष से परे) का उपयोग करता ताकि अपनी उधारियों को कम किया जा सके।

पिछले पाँच वर्षों में उधारियों के सापेक्ष औसत रोकड़ शेष को चार्ट-1.14 अ में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.14 अ: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए उधार के सापेक्ष रोकड़ शेष



1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट-1.4 (भाग ब) में 31 मार्च 2017 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2018 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।


1.9.2 राजकोषीय दायित्व

सरकार की देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, ऋण और भारत सरकार से अग्रिम और सार्वजनिक खाते में शेष राशि शामिल है। 31 मार्च 2018 को राज्य की कुल देयताएँ, ₹ 51,831 करोड़ थीं; इसकी संरचना चार्ट-1.15 में है।

चार्ट-1.15: राज्य सरकार की 2017-18 की कुल देयताओं के घटक

कुल देयताएँ (₹ 51,831 करोड़) ¹³		
बाजार, वित्तीय संस्थानों, आदि से आंतरिक ऋण (₹ 40,286 करोड़)	ऋण और अग्रिम भारत सरकार से (₹ 729 करोड़)	सार्वजनिक खाता दायित्व जहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है (₹ 10,816 करोड़)
बाजार ऋण (₹ 26,662 करोड़)	राज्य आयोजना योजनाओं के लिए ऋण (₹ 724 करोड़)	उच्चन्त और विविध (-) (₹ 1,789 करोड़)
वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 3,785 करोड़)	आयोजनेत्तर ऋण (₹ 4 करोड़)	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि. (₹ 7,010 करोड़)
एन एस एस एफ को जारी किए गए विशेष प्रतिभूति (₹ 9,838 करोड़)	1984-85 के पूर्व ऋण (₹ 0.53 करोड़)	आरक्षित कोष (₹ 1,650 करोड़)
अन्य संस्थानों से ऋण (₹ 1 करोड़)		जमा (₹ 3,345 करोड़)

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3**, **परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.16** और **चार्ट-1.17** में प्रस्तुत की गई है।




राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 22.84 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 23.82 प्रतिशत था। यह अनुपात वर्ष के लिए चौ वि आ के निर्धारित मापदण्ड (22.60 प्रतिशत) से 1.22 प्रतिशतता अधिक था। समस्त राजकोषीय दायित्व वर्ष 2013-14 के ₹ 28,767 करोड़ से 80.18 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 51,831 करोड़ हो गए थे। राजकोषीय देनदारियों में लोक ऋण (₹ 41,015 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि, आदि (₹ 7,010 करोड़), और

¹³ सामान्य रोकड़ शेष और आकस्मिक निधि (कोष) शामिल नहीं है।

अन्य दायित्व (₹ 3,806 करोड़) शामिल हैं। पिछले वर्ष 2016-17 की तुलना में चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय देनदारियों (₹ 7,248 करोड़) में वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि आदि के कारण हुई, जो क्रमशः ₹ 5,731 करोड़ थी और ₹ 619 करोड़ तक बढ़ गए थे। वर्ष के दौरान स रा घ उ के संबंध में इन देनदारियों की उत्प्लावकता 1.45 थी जो यह दर्शाता है कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि के लिए, राजकोषीय दायित्वों में 1.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान, ये देयताएं (₹ 51,831.24 करोड़) राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 1.91 गुना और अपने स्वयं के संसाधनों से 4.34 गुना अधिक थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राजकोषीय देयता की संरचना की प्रवृत्तियाँ चार्ट-1.18 में दर्शाया गयी हैं।

चार्ट-1.18: देयताओं की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे ।

1.9.3 जमा एवं आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार सात आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से एक आरक्षित निधि ब्याज सहित¹⁴ (₹ 381.66 करोड़ जमा) तथा छः ब्याज रहित निधियाँ¹⁵ (₹ 1,268.87 करोड़ जमा) हैं। इन सात निधियों में से चार निधियाँ निष्क्रिय (शेष ₹ 1,226.52 करोड़ जमा) तथा तीन निधियाँ क्रियाशील (शेष ₹ 424.02 करोड़ जमा) हैं। 1 अप्रैल 2017 को, इन सात निधियों के सापेक्ष ₹ 1,545.46 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने संचित निधि से तीन क्रियाशील आरक्षित निधियों में ₹ 232.34 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की और इन निधियों से ₹ 127.27 करोड़ व्यय किया जिससे 31 मार्च 2018 को

¹⁴ राज्य आपदा मोचन निधि।

¹⁵ 1. ऋण शोधन निधि 2. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि 3. चीनी विकास निधि 4. विद्युत विकास निधि 5. अन्य विकास और कल्याण निधि 6. मोचन निधि की प्रत्याभूति।

₹ 1,650.53 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त राशि से किसी भी धनराशि का निवेश नहीं किया गया। वर्ष के अंत तक कुल निवेश ₹ 1,188.62 करोड़ किया गया तथा ₹ 461.91 करोड़ का शेष रहे। **निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करने तथा संलिप्त धनराशि को संबन्धित राजस्व शीर्ष में अंतरण करने के लिए पुनर्वलोकन की आवश्यकता थी। उक्तांकित निष्क्रिय खातों के संबंध में यह नहीं किया।**

(ब) लोक लेखों के क्षेत्र ज तथा क के अधीन ब्याज सहित आरक्षित निधियों तथा ब्याज सहित जमा धनराशि के संबंध में ₹ 41.24 करोड़ का वार्षिक दायित्व हैं जिन्हे राज्य सरकार को वहन करना है। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था इसके बावजूद ऐसी आरक्षित निधियों तथा जमा धनराशियों में 1 अप्रैल 2017 को शेष विद्यमान था। जिसका विवरण तालिका-1.25 में है:

तालिका-1.25: आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2017-18 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (रा आ प्र नि सहित)	6.08 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	271.89	16.53
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	6.08 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	406.49	24.71
कुल ब्याज			678.38	41.24

समेकित ऋण शोधन निधि : बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (राज्य सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने ऋण शोधन निधि 2006 के सृजन एवं व्यवस्था के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शन / निर्देशों के अधीन, राज्यों को पिछले वर्ष के अंत के अपनी बकाया दायित्वों के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत (आंतरिक ऋण+लोक लेखा दायित्व) का सहयोग देना आवश्यक है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों/सुझावों के अनुसार, निधियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। **वर्ष 2017-18 में, न्यूनतम आवश्यक निवेश ₹ 222.91 करोड़ (31 मार्च 2017 को बकाया दायित्वों ₹ 44,582.67 करोड़ के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध कोई भी धनराशि राज्य की संचित निधि से ऋण शोधन निधि में विनियोजित नहीं की गयी।** राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया कि क्या निधियों के प्रावधान के अनुसार सहयोग की गयी निधि का पुनर्वलोकन निधि में पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने पर किया गया है। 2017-18 के अन्त में इसमें कुल संचयन ब्याज घटक के ₹ 1,256.32 करोड़ को सम्मिलित करते हुये, ₹ 2,484.32 करोड़ था जो बकाया दायित्वों ₹ 51,831.24 करोड़ का 4.79 प्रतिशत है। जिसमें से ₹ 2,409.94 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

राज्य आपदा विमोचन निधि (एस डी आर एफ): भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं। वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय लोक लेखा को नामे करने के साथ मुख्य शीर्ष 2245 को नामे कम करके संयोजित किया जाता है। जब राज्य आपदा मोचन निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अधीन दी गयी धनराशि का व्यय सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2017 को, निधि में ₹ 271.89 करोड़ की धनराशि शेष थी। 2017-18 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के लिए ₹ 207.90 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी निर्गतों के साथ अपने अंश ₹ 23.10 करोड़ लोक लेखा को हस्तांतरित कर दिये। निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, ₹ 121.23 करोड़ का व्यय आरम्भ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत किए गए इंद्राज के पश्चात समायोजित किया गया। जिससे निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 381.66 करोड़ की धनराशि शेष रही। दिशा निर्देशों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस धनराशि को निवेशित नहीं किया।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, राज्य विधायिका द्वारा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके) संबन्धित प्रावधान दिसम्बर 2016 में संसोधित एफ आर बी एम अधिनियम में किया है।


वित्त लेखे के **विवरण 9** के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थीं तथा विगत पाँच वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ **तालिका-1.26 एवं चार्ट-1.19** में दी गई हैं:

तालिका-1.26: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,475	1,832	1,743	1,248 [#]	1,173
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	किसी भी वर्ष के लिए बकाया प्रत्याभूतियाँ स रा घ उ के एक प्रतिशत तक निर्धारित है। वर्ष के दौरान दी गयी नई प्रत्याभूति स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	--	438	915	295	--
वर्ष के दौरान विलोपन	--	81	1,004	781	75

चार्ट-1.19: बकाया प्रत्याभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

[#] बजट दस्तावेजों में ग्राअ को ₹1,248 करोड़ के रूप में लेने के बाद से पिछले वर्ष के अंतिम शेष के साथ अंतर।

31 मार्च 2018 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,173 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 918 करोड़), सहकारिताओं (₹ 50 करोड़) और अन्य (₹ 205 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2018 को कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,173 करोड़ थी जो वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.54 प्रतिशत है और इसलिए एफआरबीएम सीमा में था। चार्ट-1.20 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-1.20: 31 मार्च 2018 के अंत में प्रत्याभूति की प्राप्ति में निकाय



स्रोत: वित्त लेखे।

सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आह्वानित नहीं की गई। इस प्रकार वित्त लेखे में इंगित प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना पर आधारित है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इसलिए सभी मामलों में प्राप्य एवं प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की पूर्ण सूचना वित्त लेखे में नहीं दी गई है।


सरकार ने ₹ 35 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति मोचन निधि' का गठन किया था। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भी धनराशि संचित निधि से प्रत्याभूति मोचन निधि में विनियोजित नहीं की गई। आगे, आर बी आई, जो कि निधि की देखभाल करती है, के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि कोष को अवशेष प्रत्याभूति की राशि के वांछित पाँच प्रतिशत तक धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए था। वांछित स्तर, ₹ 58.66 करोड़ (31 मार्च 2018 को अवशेष प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,173.16 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के सापेक्ष 'प्रत्याभूति मोचन निधि' में 31 मार्च 2018 को ₹ 65.42 करोड़ अवशेष (आर बी आई द्वारा आंकलित ₹ 30.42 करोड़ के ब्याज सहित) था। इस निधि के अन्तर्गत समस्त बकाया निवेशित किया जा चुका था।

1.10 ऋण प्रबंधन

(i) ऋण रूपरेखा


राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट-1.21 में दी गई है।

चार्ट-1.21: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2018 को, लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 55 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में थी। बकाया बाजार ऋण और उस पर ब्याज की राशि का भुगतान दस वर्षों तक किया जाना है, नीचे तालिका-1.22 में विवरण दिया गया है।



नोट: 31 मार्च 2018 को बकाया बाजार ऋण के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

अगले दस वर्षों के दौरान, सरकार को ₹ 26,662 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों में से ₹ 24,180 करोड़ (90.69 प्रतिशत) के बाजार ऋण को चुकाना है, इसके साथ ही ब्याज की ₹ 15,863 करोड़ की राशि भी है। इसका मतलब है कि अगले दस वर्षों में राज्य को प्रति वर्ष ₹ 4,004 करोड़ का औसत भुगतान करना है जो वर्ष के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान के ₹ 2,677.65 करोड़ से अधिक है। इस प्रकार भविष्य में पुनर्भुगतान दायित्व काफी हद तक बढ़ जाएंगे।

(ii) ऋण वहन क्षमता

ऋण वहन क्षमता राज्य की ऋण परिहार करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2013-14 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण वहन क्षमता में उतार चढ़ाव के सूचकों का विश्लेषण तालिका-1.27 में दिया गया है।

तालिका-1.27: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ¹⁶	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया लोक ऋण	21,355	25,035	29,836	35,210	41,015
बकाया लोक ऋणों के वृद्धि की दर	13.60	17.23	19.18	18.01	16.49
राज्य की स रा घ उ	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
स रा घ उ की वृद्धि दर	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.83	8.15	8.53	9.67	8.97
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत)	9.08	9.34	11.02	12.64	12.61
ऋण वापसी का ऋण प्राप्ति से प्रतिशतता	34.00	19.55	29.38	17.35	22.87
सार्वजनिक ऋण प्राप्ति	3,873.00	4,573.00	6,798.00	6,501.00	7,526.00
सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान	1,317.00	894.00	1,997.00	1,128.00	1,721.00
आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण पर ब्याज भुगतान	1,572.00	1,891.00	2,339.00	3,146.00	3,417.00
राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता*	984.00	1,788.00	2,462.00	2,227.00	2,388.00
ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का कुल उधर ली गयी राशि से प्रतिशत	74.59	60.90	63.78	65.74	68.27

* राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता का आकलन लोक ऋण प्राप्ति एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों से लोक ऋण वापसी, ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान में आधिक्य से किया जाता है।

¹⁶ परिशिष्ट-4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.28: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	निवल ऋण और अशिमों का संवितरण (प्रतिशतता)	कुल उधारियाँ में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2013-14	3,873	1,317 (34)	2,556 (66)	लागू नहीं	लागू नहीं
2014-15	4,573	894 (20)	3,679 (80)	लागू नहीं	लागू नहीं
2015-16	6,798	1,997 (29)	4,217 (62)	56 (1)	528 (8)
2016-17	6,501	1,128 (17)	4,954 (76)	130 (2)	289 (5)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	लागू नहीं	लागू नहीं

* निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ।


- वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2017-18 में राज्य द्वारा कुल उधारियों को पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान एवं पूँजीगत व्यय पर उपयोग किया गया। राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ऋण उधारियों का कोई भी हिस्सा उपलब्ध नहीं था।
- 2015-16 और 2016-17 के दौरान, कुल उधारियों में से क्रमशः ₹ 528 करोड़ और ₹ 289 करोड़ की राशि का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया।

चार्ट-1.23: ऋण स्थिरता (अर्थात्, ऋण-स रा घ उ के बीच का अनुपात)




यह दर्शाता है कि स रा घ उ की तुलना में सरकार का ऋण अधिक गति से बढ़ रहा है।

चार्ट-1.24: ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत




यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान तेजी से राजस्व प्राप्तियों का उपभोग कर रहे हैं।

चार्ट-1.25: कर राजस्व बनाम ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



यह दर्शाता है कि 10 से 21 प्रतिशत कर का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है।

चार्ट-1.26: ऋण पुनर्भुगतान बनाम ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)




यह दर्शाता है कि पुराने बकाया ऋणों को चुकाने के लिए 17 से 34 प्रतिशत ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त तालिका-1.27 से यह देखा गया:

- बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर में 2013-14 से 2015-16 तक लगातार वृद्धि रही। तथापि, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान यह कम हुई है। लोक ऋण की वृद्धि दर स रा घ उ की तुलना में लगातार अधिक रही है।
- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.83 प्रतिशत एवं 9.67 प्रतिशत के बीच रही।
- राज्य ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 9.08 से 12.64 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया।
- 2013-14 से 2017-18 की अवधि में ऋण प्राप्तियों से ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2013-14 में, लोक ऋण प्राप्ति के 36.70 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से किया गया था जबकि 2017-18 में, 56.86 प्रतिशत का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया था।
- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति के एक बड़े हिस्से (60.90 प्रतिशत और 74.59 प्रतिशत के बीच) का उपयोग पूर्व में उधार ली गई निधि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किया जा रहा था। इसलिए, लोक ऋण प्राप्ति का केवल 25.41 प्रतिशत से 39.10 प्रतिशत ही विकास व्यय के लिए उपलब्ध था।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लिये गये बाजार ऋण और पुनर्भुगतान संरचना चार्ट-1.27 और 1.28 में दी गई है।



1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति (बा ऋ)

तालिका-1.29, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाती है।


तालिका-1.29: राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशतता
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
2014-15	10,930.56	2,400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
2015-16	13,021.71	3,900.00	1,170.19	15,751.52	2,729.81	20.96
2016-17	15,751.52	5,450.00	369.23	20,832.28	5,080.76	32.26
2017-18	20,832.28	6,660.00	830.00	26,662.28	5,830.00	27.99
योग		20,910.00	3,442.16			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे।


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 20,910 करोड़ एवं ₹ 3,442.16 करोड़ का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 20,910 करोड़) का 16.46 प्रतिशत था। इन ऋणों पर पुनर्भुगतान 2013-14 में 763.89 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 830.00 करोड़ हो गया, जो 2013-14 में 9.70 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से 2017-18 में 7.73 प्रतिशत था। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 में बाजार ऋणों में कमी आ चुकी थी। तथापि, 2015-16 में पुनः यह ₹ 3,900 करोड़ बढ़ा और चालू वर्ष के दौरान भी यही प्रवृत्ति रही। इस अवधि के दौरान प्राप्तियों में 2013-14 से 2017-18 तक लगभग 2.66 गुना वृद्धि देखी गई। नीचे दिया गया चार्ट-1.29 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि में बाजार उधारियों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटों की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, परिमाण और वित्तपोषण के ढंग को प्रस्तुत करता है। **चार्ट-1.30** एवं **चार्ट-1.31**, 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: स रा घ उ के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी एवं निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं।

राजस्व घाटा: 2013-14 में उत्तराखण्ड एक आधिक्य राज्य था। तथापि, राज्य के राजस्व में 2014-15 में ₹ 917 करोड़ का राजस्व घाटा था जो 2015-16 के दौरान और खराब होकर ₹ 1,852 करोड़ हो गया। 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ के अत्यंत निचले स्तर तक लाने में सक्षम था। **तथापि, चालू वर्ष के दौरान स्थिति और खराब हुई और राज्य का राजस्व घाटा ₹1,978 करोड़ (स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत) था।**

राजकोषीय घाटा: वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 1.78 प्रतिशत) से बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 प्रतिशत), 2015-16 के दौरान ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.48 प्रतिशत) हो गया फिर 2016-17 में ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.79 प्रतिशत) तक कम हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटा ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत) था जो चौ वि आ द्वारा निर्धारित मानक लक्ष्य (स रा घ उ का 3.25 प्रतिशत) से भी अधिक था।

प्राथमिक घाटा: 2012-13 के दौरान का प्राथमिक आधिक्य¹⁷ (₹ 489 करोड़) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया और चालू वर्ष तक घाटा ही रहा। तथापि, प्राथमिक घाटा ₹ 3,154 करोड़ (2015-16) से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,744 करोड़ हो गया था, चालू वर्ष में पुनः बढ़कर ₹ 3,948 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अस्तित्व दर्शाता है कि राज्य को अपने उधार लिए गए धन पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए, राज्य सरकार अपनी ब्याज वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 में उसके द्वारा कुल ली गई उधार धनराशि ₹ 7,526 करोड़ में से ₹ 3,987 करोड़ उधार लेने के लिए मजबूर थी।

प्राथमिक राजस्व शेष: राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस हद तक पूंजी खाते पर व्यय को पूरा करने में सक्षम थीं। 2017-18 में, राज्य ने ₹ 2,009 करोड़ का प्राथमिक राजस्व आधिक्य दर्ज किया। यह पूँजीगत व्यय (₹ 5,914 करोड़) का 34 प्रतिशत था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के ₹ 47.98 करोड़ को पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत एवं ₹ 419.39 करोड़ के वृहद निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में दर्शाया जो कि सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने ऋण-शोधन निधि में ₹ 222.91 करोड़ की कम धनराशि का योगदान किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹ 41.24 करोड़ के आरक्षित एवं जमा राशि पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया।

उपर्युक्त ने राज्य सरकार के राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया। राजस्व घाटा 0.05 प्रतिशतता बिन्दु से अधिक हो गया है, जबकि राजकोषीय घाटा 0.12 प्रतिशतता बिन्दु गिरा जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

¹⁷ उस धनराशि को संदर्भित करता है जो कि सरकार के कुल राजस्व से कुल व्यय के आधिक्य को अपने ऋण पर दिये गए ब्याज की राशि को सम्मिलित नहीं करते हुए प्राप्त होता है।

तालिका-1.30: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात (प्रतिशत में)	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घाटा / स रा घ उ	राजकोषीय घाटा / स रा घ उ	राजस्व घाटा / स रा घ उ	राजकोषीय घाटा / स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण	419.39 ¹⁸	--	--	--	0.91	3.65	0.86	3.77
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	--	47.98	--	--				
3.	ऋण शोधन निधि में कम योगदान	--	222.91	--	222.91				
4.	आरक्षित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	--	41.24	--	41.24				
कुल (निवल) प्रभाव		107.26 (अतिशयोक्ति)		264.15 (न्यूनोक्ति)					

स्रोत: वित्त लेखे।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका-1.31 में परिलक्षित है।

तालिका-1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अ	राजकोषीय घाटे के घटक(1 से 4)	(-) 2,650	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935
1.	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(+)1,105	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3,532	(-) 4,804	(-) 4,217	(-) 4,954	(-) 5,914
3.	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)223	(-) 105	(-) 56	(-) 130	(-) 43
ब	राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	2,556	3,680	4,802	5,373	5,806
अ	निवल बाजार ऋण	1,736	(+) 2,091	(+) 2,730	(+) 5,081	(+) 5,830
ब	भारत सरकार से निवल ऋण	(-)16	(+) 33	(+) 66	(+) 111	(+) 74
स	एन एस एस एफ को जारी विशेष निवल प्रतिभूतियाँ	545	(+) 1,145	(+) 1,467	(-) 348	(-) 374
द	वित्तीय संस्थाओं से निवल ऋण	291	(+) 411	(+) 539	(+) 529	(+) 276
2.	निवल लोक लेखा	764	1,497	1,209	1,248	2,204
अ	निवल लघु बचत, भविष्य निधि आदि	322	(+) 420	(+) 478	(+) 413	(+) 619
ब	निवल जमा एवं अग्रिम	352	(+) 399	(+) 138	(-) 135	(+) 719
स	निवल उचन्त एवं विविध	(-)223	(+) 13	(+) 377	(+) 1,050	(+) 730
द	निवल प्रेषण	317	(+) 450	(+) 33	(-) 3	(+) 31
य	निवल आरक्षित निधि	(-) 4	(+) 215	(+) 183	(-) 77	(+) 105
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(-)182	(-) 12	(-) 195	(+) 167	(-) 127
4.	रोकड़ शेष में कुल वृद्धि	(-)488	(+) 661	(+) 309	(-) 1,321	(+) 52

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2013-14 से 2017-18।

¹⁸ राज्य सरकार ने मुख्य निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गयी ₹ 422.23 करोड़ की राशि को विभिन्न राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत बुक किया। इसके अलावा, लघु निर्माण कार्यों और अनुरक्षण पर ₹ 1.44 करोड़ एवं ₹ 1.40 करोड़ का व्यय किया गया था तथा इसे पूँजीगत सेक्शन के अन्तर्गत बुक किया गया था।

2017-18 में राजकोषीय घाटा काफी सीमा तक बाजार की उधारियों (73 प्रतिशत), जमा और अग्रिम (9 प्रतिशत), लघु बचत एवं भविष्य निधि (8 प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (3 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का भाग और निवल पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य वित्त में घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा है और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं हैं। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.32) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत लेखे में कमी के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ *	राजस्व प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3-4)	9=(2-7)
2013-14	17,556	17,321	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,161	(-) 594
2014-15	20,428	20,247	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420
2015-16	21,261	21,234	20,115	4,217	83	24,415	(+) 1,119	(-) 3,154
2016-17	24,924	24,889	21,549	4,954	165	26,668	(+) 3,340	(-) 1,744
2017-18	27,139	27,105	25,096	5,914	77	31,087	(+) 2,009	(-) 3,948

* लोक ऋण प्राप्तियाँ से इतर प्राप्तियाँ अर्थात् ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है।

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियाँ और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली शामिल थीं जिसमें 2013-14 से 2017-18 तक 54.59 प्रतिशत वृद्धि हुई और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राथमिक राजस्व आधिक्य में गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग तीन गुना बढ़ा और 2016-17 के दौरान ₹ 3,340 करोड़ रहा। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह फिर से ₹ 1,331 करोड़ घट गया।
- 2013-14 में ₹ 594 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2014-15 में बढ़कर ₹ 3,420 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 में, इसमें ₹ 266 करोड़ की मामूली कमी आई लेकिन 2016-17 के दौरान ₹ 1,410 करोड़ की कमी दिखायी दी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इसमें फिर से ₹ 2,204 करोड़ की पर्याप्त वृद्धि हुयी।

तालिका-1.33: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	(+) 1,105	(-) 917 (76)	(-) 1,852 (30)	(-) 383 (07)	(-) 1,978 (25)
निवल पूँजीगत व्यय	(-) 2,427 (92)	(-) 4,804 (82)	(-) 4,217 (69)	(-) 4,954 (97)	(-) 5,914 (75)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 223 (08)	(-) 105 (02)	(-) 56 (07)	(-) 130 (02)	(-) 43 (00)
राजकोषीय घाटा	(-) 2,650	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935

कोष्ठक में दिये आँकड़े राजकोषीय घाटे के सापेक्ष प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश दर्शाता है कि चालू उपभोग के लिए किस सीमा तक उधार ली गई धनराशि का उपयोग किया गया था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता उच्च राजस्व घाटे के कारण खराब हो गई है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2016-17 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 25 प्रतिशत हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि चालू व्यय का बढ़ता हुआ अनुपात परिसंपत्ति सृजन के बजाय उधार ली गयी निधियों से पूरा किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष निवल पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2016-17 में 91 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 75 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 45.14 प्रतिशत बढ़ा और जो 2016-17 के 2.79 प्रतिशत की तुलना में स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत था।

1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर एकल प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा 2009 से चर्चा नहीं की गई, यद्यपि प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.13 निष्कर्ष

2013-14 के राजस्व आधिक्य को बरकरार नहीं रखा जा सका और राज्य को पिछले चार वर्षों में राजस्व घाटा हुआ। राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान स रा घ उ का 0.20 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत हो गया। तथापि, गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अन्तर्गत कुछ खर्चों को गलत दर्शाया गया था। इसके अलावा, राज्य ने भी सांविधिक निधियों में योगदान नहीं दिया था और ब्याज के लिए बजट प्रावधान भी नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटा 0.05 प्रतिशतता बिन्दु अतिशयोक्त हो गया था और राजकोषीय घाटा 0.12 प्रतिशतता बिन्दु से न्यूनाशयोक्त हो गया था।

पूँजीगत व्यय ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 960.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज करायी, जो राज्य सरकार द्वारा अपने ब आं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय बढ़ने के कारण वचनबद्ध व्यय की कुल राजस्व व्यय से अनुपात में 2016-17 के 62 प्रतिशत से चालू वर्ष के

दौरान 68 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि विकास गतिविधियों के लिए सरकार के पास कम राशि उपलब्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में व्यय सभी तीन वर्षों के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अन्तर्गत यह विशेष श्रेणी राज्यों के सभी तीन वर्षों के दौरान औसत से कम था।

राज्य सरकार द्वारा संचित हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक निगमों एवं कंपनियों में भी, जिन्होंने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था, बजटीय सहायता एवं निवेश किया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था। राज्य द्वारा विभिन्न संस्थानों, निगमों/सरकारी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज (प्रतिफल) केवल 0.005 प्रतिशत था, जो कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष था, जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था।

राज्य का लोक ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का लोक ऋण स रा घ उ की तुलना में उच्च दर पर बढ़ा है। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान पिछले दो वर्षों में 2013-14 के दौरान 12 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। 2017-18 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति का 68 प्रतिशत पहले उधार ली गई निधि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसलिए, पिछले वर्ष में 34 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान लोक ऋण की प्राप्ति का केवल 32 प्रतिशत ही विकास व्यय के लिए उपलब्ध हुआ।

2017-18 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 23.82 प्रतिशत पर रहा जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित 22.60 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा चौ वि आ द्वारा निर्धारित मानक लक्ष्य स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत से ऊपर था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता उच्च राजस्व घाटा के कारण खराब हो गई है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2016-17 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 25 प्रतिशत हो गया। कुल पूँजीगत व्यय का राजस्व घाटे से अनुपात का प्रतिशत 2016-17 में 91 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 75 प्रतिशत हो गया।

1.14 संस्तुतियाँ

- राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमानों और चौ वि आ प्रक्षेपणों से कम रहा। राज्य स्वयं के कर राजस्व के संग्रह में गिरावट के लिए योगदान करने वाले कारकों की जाँच कर सकते हैं और

संसाधन जुटाने में सुधार के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को कम करके स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत तक लाने के लिए राजस्व व्यय को घटाया जा सकता है, जैसा कि चौ वि आ द्वारा अनुशंसित है।

- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में, जिससे पूँजी आधार बढ़ेगा जो कि आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगा।
- राज्य सरकार पर्याप्त उच्च लागत की उधारियों को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षे उ में निवेशित पूँजी पर युक्तियुक्त प्रतिफल को सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है।
- राज्य अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आगे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं ना हो।
- राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र पर संसाधनों के आवंटन में वृद्धि कर सकता है ताकि इसे विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के बराबर लाया जा सके; तथा
- राज्य सरकार को जीपीएफ के लिए लागू दर पर ब्याज का प्रावधान करना चाहिए, जो कि लोक खाते में रखे गए विरासत शेष पर भुगतान किया जाता है।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण


अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

चार्ट-2.1: बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय वास्तविक व्यय है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 31 अनुदानों / विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 एवं चार्ट-2.2 में दी गयी है।


तालिका-2.1: वर्ष 2017-18 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	कुल समर्पित धनराशि का 31 मार्च को समर्पित धनराशि की प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	26,834.00	2,165.44	28,999.44	25,032.46	(-)3,966.98	162.72	162.72	100
	II पूँजीगत	5,511.37	827.61	6,338.98	6,633.44	(+)294.46	70.93	70.93	100
	III ऋण एवं अग्रिम	252.35	18.00	270.35	76.83	(-)193.52	00	00	00
योग-दत्तमत		32,597.72	3,011.05	35,608.77	31,742.73	(-)3,866.04	233.65	233.65	100
भारित	IV राजस्व	4,716.83	4.70	4,721.53	4,050.41	(-)671.12	3.64	3.64	100
	V पूँजीगत	3.00	0.00	3.00	00	(-)3.00	00	00	00
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	2,640.23	0.00	2,640.23	7,651.62	(+)5,011.39	00	00	00
योग-भारित		7,360.06	4.70	7,364.76	11,702.03	(+)4,337.27	3.64	3.64	100
कुल योग		39,957.78	3,015.75	42,973.53	43,444.76	(+)471.23	237.29	237.29	100

स्रोत : विनियोग लेखे।

चार्ट-2.2: प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति




जैसा कि तालिका-2.1 में प्रदर्शित है, ₹ 471.23 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय हुआ था जो कि पूँजीगत दत्तमत के अन्तर्गत छः अनुदानों और पूँजीगत भारत के अन्तर्गत एक विनियोग में ₹ 6,413.38 करोड़ के आधिक्य और तीस अनुदानों और आठ विनियोग में ₹ 5,942.15 करोड़ की बचत का परिणाम था।

2.2.1 पूँजीगत और राजस्व

पूँजीगत खाते में व्यय आधिक्य बताया गया था। हालांकि, राजस्व खाते में बचत पायी गई थी (चार्ट-2.3)।

चार्ट-2.3: पूँजीगत और राजस्व वर्गों के अन्तर्गत बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2017-18 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में आवंटन के सापेक्ष महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया, उनका विवरण तालिका-2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: 2017-18 के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	आधिक्य व्यय
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएं	पूँजीगत (भारित)	5,011.39
2.	25	खाद्य	पूँजीगत (दत्तमत)	1,322.39
योग				6,333.78

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल एक अनुदान और एक विनियोग में ही 98.76 प्रतिशत का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान आवंटन के सापेक्ष जिन विभागों में महत्वपूर्ण बचत पायी गई, वे राजस्व और सामान्य प्रशासन (₹ 969.95 करोड़), वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध (₹ 1,134.71 करोड़), शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति (₹ 551.38 करोड़), चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 592.79 करोड़), जल आपूर्ति, आवास और शहरी विकास (₹ 364.75 करोड़), कल्याण (₹ 368.84 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 612.98 करोड़), ऊर्जा (₹ 196.67 करोड़) और अनुसूचित जाति का कल्याण (₹ 307.01 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों को सूचित (जुलाई 2018) किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2019)।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (उ ब मै) के तेरहवें अध्याय के प्रस्तर 121 के अनुसार, अनाधिकृत आधिक्य व्यय करना आपत्तिजनक है तथा उससे बचा जाना चाहिए। छः प्रकरणों में, ₹ 10,810.75 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 6,412.89 करोड़ अधिक था, जो कि प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.1 में दिया गया है। इनमें से अनुदान संख्या 25-खाद्य (तालिका-2.3) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका-2.3: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	25-खाद्य	1,775.56	1,738.25	2,203.83	2,245.80	1,322.39

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरंतर व्ययाधिक्य यह दर्शाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे। राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित अनुदानों के सापेक्ष लगातार व्ययाधिक्य विधानमंडल की इच्छा और लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन है कि विधायिका की स्वीकृति के बिना एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता है, और, इसलिए इसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। आधिक्य व्यय के सभी मौजूदा मामलों को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में, गंभीर एवं अत्यधिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर, इस तरह के अप्रदत्त व्यय को पूरी तरह से रोका जा सकता है, जिनकी लागत आकस्मिकता निधि से पूरी नहीं की जा सकती है।

2.3.2 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से आधिक्य व्यय

उ ब मै के अध्याय तेरह का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारित विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है, आधिक्य व्यय सविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार मांगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। **तथापि, वर्ष 2005 से 2017 तक का ₹ 20,780.77 करोड़ का आधिक्य व्यय राज्य विधायिका से नियमित किया जाना शेष था।** नियमितीकरण हेतु वर्षवार आधिक्य धनराशि **तालिका-2.4** में सारांशित है।

तालिका-2.4: विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय
(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान / विनियोगों के ब्यौरे	प्रावधान से अधिक व्यय की राशि
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	6,63.50
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	9,35.92
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	7,33.79
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80
2015-16	4	17,22, 25 एवं 29	2,334.24
2016-17	4	7,17,25 एवं 29	5,457.33
योग			20,780.77

स्रोत:- विनियोग लेखे।

यह विधायी मंशा के विपरीत है और सार्वजनिक धन के उपयोग पर कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। इस तरह की विस्तारित अवधि के लिए शेष रहे अनियमित आधिक्य व्यय को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह सरकारी खजाने पर विधायी नियंत्रण को कम करता है और इसलिए, आधिक्य व्यय के सभी वर्तमान प्रकरणों को शीघ्रतः नियमित करने की आवश्यकता है और बजट से आधिक्य होने पर नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.3.3 वर्ष 2017-18 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका-2.5 में वर्ष 2017-18 के दौरान छः अनुदानों तथा एक विनियोजन में राज्य की संचित निधि (सं नि) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 6,413.39 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.5: 2017-18 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-भारित					
1.	7	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	2,640.23	7,651.62	5,011.39
पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	14	सूचना	8.27	8.76	0.50
2.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	23.03	26.75	3.72
3.	20	सिंचाई एवं बाढ़	292.18	337.88	45.70
4.	22	लोक निर्माण	1,369.20	1,395.28	26.08
5.	25	खाद्य	19.27	1,341.67	1,322.39
6.	27	वन	53.95	57.56	3.61
योग			4,406.13	10,819.52	6,413.39

स्रोत: विनियोग लेख।

राज्य सरकार / विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को फरवरी 2019 तक सूचित नहीं किया गया था।

2.3.4 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 138.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान चार प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 1,397.89 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट-2.2)।

2.3.5 व्यय की तीव्रता

उ ब में के अध्याय सत्रह का प्रस्तर 183 यह प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.3** में सूचीबद्ध 33 मुख्य शीर्षों में वर्ष 2017-18 के कुल व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2018 में किया गया था।

वर्ष 2017-18 के दौरान 33 मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 2,386.03 करोड़ का 59.45 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।


2.3.6 अधिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप बचत

2.3.6.1 अनावश्यक / अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 34 प्रकरणों में, जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 1,367.58 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के

अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

चार्ट-2.4: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोग लेख।

2.3.6.2 निधियों का अधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। पुनर्विनियोजन अधिक / अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप सात अनुदानों के अन्तर्गत 66 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक के व्यय में बचत / आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा फरवरी 2019 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.6.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

13 अनुदानों में, 80 उपशीर्षों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किए गए। इन 80 उपशीर्षों में ₹ 343.03 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 148.03 करोड़ (43.15 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 43 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 28.35 करोड़) दत्तमत्त अनुदान में सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (अ)** में विस्तारित है और दो अनुदानों में, पाँच उपशीर्षों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक) किए गए। इन दो विनियोग के पाँच उपशीर्षों में ₹ 4.18 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 1.36 करोड़ (32.47 प्रतिशत) का अभ्यर्पण में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (ब)** में विस्तारित है।

2.3.6.4 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 15.75 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 15.90 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.15 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिये गये हैं।

2.3.6.5 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई/आंशिक अभ्यर्पित

उ ब में के अध्याय तेरह के खण्ड 1 का प्रस्तर 124 यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग-II) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत के अन्तिम विवरण तैयार

करने चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2017-18 के अंत में, 17 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 2,408.87 करोड़ (कुल बचत¹ का 40.54 प्रतिशत) थी, **परिशिष्ट-2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 5,912.82 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से केवल ₹ 155.90 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 5,756.92 करोड़ (₹ 5,912.82 करोड़ की बचत का 97.36 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवस में चार प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों की धनराशि ₹ 166.50 करोड़ अभ्यर्पित की गयी (**परिशिष्ट-2.10**), जो अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य उद्देश्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.6.6 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि 55 प्रकरणों में बचत, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (**परिशिष्ट-2.11**)। कुल बचत ₹ 5,941.69 करोड़ के विरुद्ध 16 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 24 प्रकरणों में ₹ 5,524.05 करोड़, (92.97 प्रतिशत)² की बचत हुई जैसा कि **तालिका-2.6** में प्रदर्शित है।

तालिका-2.6: 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों एवं विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,752.67	823.29	46.97
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	7,629.63	226.15	2.96
3.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	6,670.18	439.41	6.59
4.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,951.34	510.18	26.15
5.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	755.41	171.25	22.67
6.	15	कल्याण	1,496.97	324.83	21.70
7.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	901.30	64.05	7.11
8.	19	ग्रामीण विकास	1,212.25	557.81	46.01
9.	22	लोक निर्माण	705.46	63.62	9.02
10.	25	खाद्य	237.71	55.36	23.29
11.	27	वन	633.80	82.90	13.08
12.	29	उद्यान विकास	271.11	55.47	20.46
13.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,006.21	245.12	24.36
14.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	315.42	90.34	28.64
योग			25,539.46	3,709.78	14.52
राजस्व-भारित					
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,634.33	646.15	13.94
योग			4,634.33	646.15	13.94

¹ कुल बचत ₹ 5,942.15 करोड़।

² प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	728.90	146.15	20.05
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	452.00	262.41	58.06
3.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	277.14	111.97	40.40
4.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	146.55	82.61	56.37
5.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	831.00	193.49	23.28
6.	19	ग्रामीण विकास	1,183.16	55.16	4.66
7.	21	ऊर्जा	339.00	196.67	58.01
8.	23	उदद्योग	63.74	57.77	90.63
9.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	306.24	61.89	20.21
योग			4,327.73	1,168.12	26.99
महायोग			34,501.52	5,524.05	16.01

स्रोत : विनियोग लेखें।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2019)।

2.3.6.7 निरन्तर बचत

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 45 प्रकरणों, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई (तालिका-2.7)।

तालिका-2.7: पिछले पाँच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	36.52	35.73	29.67	54.67	19.38
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,466.73	1,037.70	669.86	1,284.98	823.29
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	116.17	480.27	786.13	1,020.53	226.15
4.	08-आबकारी	2.02	1.44	1.91	5.13	2.59
5.	10- पुलिस एवं कारागार	23.71	100.55	60.74	149.77	73.90
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	635.48	741.48	811.98	1,313.18	439.41
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116.11	397.34	514.02	452.31	510.18
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	308.25	175.86	299.99	416.29	171.25
9.	14-सूचना	1.16	1.01	2.19	4.76	3.30
10.	15-कल्याण	178.11	342.56	396.89	504.66	324.83
11.	16-श्रम एवं रोजगार	28.70	58.20	86.03	72.37	19.06
12.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	186.93	91.09	215.51	252.03	64.05
13.	18-सहकारिता	8.53	7.93	6.60	16.69	2.84
14.	19- ग्रामीण विकास	179.22	651.46	126.96	485.65	557.81
15.	20-सिंचाई व बाढ़	36.48	63.40	49.57	100.57	36.58
16.	22-लोक निर्माण	95.65	205.45	119.55	61.65	63.62
17.	23- उदद्योग	20.89	14.02	34.66	106.40	43.01
18.	24-परिवहन	3.22	5.27	5.60	11.69	9.43
19.	25-खाद्य	226.55	224.72	129.08	171.66	55.36
20.	26-पर्यटन	13.43	42.46	4.17	18.69	8.40
21.	27-वन	31.00	1,19.93	80.72	2,10.08	82.90
22.	28-पशुपालन	24.93	33.92	24.21	73.87	22.33
23.	29-उद्यान विकास	40.87	41.31	61.45	49.46	55.47
24.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	210.01	269.50	490.39	542.21	245.12
25.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	58.99	95.59	117.85	138.15	90.34

राजस्व-प्रभारित						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	5.52	7.59	8.77	28.12	7.20
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	646.03	657.44	414.76	226.69	646.15
3.	09-लोक सेवा आयोग	2.40	1.59	1.64	9.49	10.11
4.	22-लोक निर्माण	1.75	4.71	5.09	1.38	3.95
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	01- विधान मण्डल	22.00	19.97	23.50	9.93	0.46
2.	04-न्यायिक प्रशासन	7.94	19.54	29.06	38.67	3.76
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	13.78	4.85	4.42	74.61	146.15
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	40.81	23.09	15.31	310.53	262.41
5.	10- पुलिस एवं कारागार	46.89	7.55	2.91	17.12	8.43
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	184.55	189.88	370.80	152.73	111.97
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	188.14	24.27	33.80	32.28	82.61
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	275.08	477.85	157.08	174.45	193.49
9.	15-कल्याण	6.75	74.29	39.12	17.66	44.01
10.	19- ग्रामीण विकास	62.82	219.63	51.80	70.26	55.16
11.	21- ऊर्जा	325.76	361.66	102.42	314.05	196.67
12.	23- उद्योग	28.21	25.81	16.29	34.66	57.77
13.	24-परिवहन	95.18	30.00	59.21	44.41	19.23
14.	26-पर्यटन	47.68	179.95	63.10	71.64	5.22
15.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	300.94	299.68	134.77	117.96	61.89
16.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	81.60	42.37	61.52	59.85	36.65

सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (फरवरी 2019)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016-17 के राज्य वित्त प्रतिवेदन में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्तमान वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.7 बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए, सरकार समेकित निधि से धनराशि अंतरण कर उसे जमा करने के लिए वैयक्तिक जमा खाता खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, केवल तत्काल भुगतान की आवश्यकता के लिए ही निधियों का आहरण किया जाएगा और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा करने के लिए सरकारी खाते से नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए, निधियों का आहरण करके लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध है।

वर्ष 2017-18 के अंत तक ₹ 235.52 करोड़ की अव्ययित धनराशि समेकित निधि में अन्तरित करनी शेष रही। आगे, यह भी देखा गया कि मुख्य शीर्ष 4225 और 4235 के अंतर्गत ₹ 0.41 करोड़ और ₹ 0.66 करोड़ की राशि मार्च में वैयक्तिक जमा खातों में स्थानांतरित की गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान वैयक्तिक जमा खाता की स्थिति तालिका-2.8 में दी गयी है।


तालिका-2.8: वर्ष 2017-18 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अंतिम अवशेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
19	185.33	15	135.76	19	85.57	15	235.52

चार्ट-2.5: वैयक्तिक जमा खाते

(₹ करोड़ में)



कुल वैयक्तिक जमा खातों की संख्या में कमी आई है जबकि इसमें शामिल राशि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है।

15 वैयक्तिक जमा खातों के विश्लेषण से पता चला है कि ₹ 144.14 करोड़ एक वर्ष से अधिक समय से अव्ययित पड़े थे। राज्य की समेकित निधि से वैयक्तिक जमा खातों में धन हस्तांतरित करना और इस धनराशि को खर्च नहीं करने से राज्य की समेकित निधि विवरण से आधिक्य व्यय परिलक्षित होता है।

मुख्य कोषाधिकारी आगे, देहरादून के लेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के अंत में जमा खातों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु धनराशि में वृद्धि हुई है।

जमा खातों की 2015-16 से 2017-18 की स्थिति तालिका-2.9 में दिखायी गयी है।

तालिका-2.9: जमा लेखों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जमा शीर्ष	2015-16		2016-17		2017-18	
	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
8338-स्थानीय निधि जमा	05	82.28	05	90.98	05	91.18
8443-सिविल जमा	06	130.74	05	123.71	04	105.06
8448-स्थानीय निकाय निधि	17	33.08	17	38.18	19	109.24
समग्र अवरुद्ध/स्थानान्तरण निधि	28	246.10	27	252.87	28	305.48

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के अभिलेख।

इन वैयक्तिक जमा खातों को वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में बंद करने की आवश्यकता थी और समेकित निधि में अव्ययित शेष राशि को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया।

समय-समय पर वैयक्तिक जमा खातों में शेष राशि के असमाधानित रहने और वित्तीय वर्ष के बंद होने से पहले वैयक्तिक जमा खातों में पड़े हुए बकाया शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित न किया जाना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन एवं अनुदान संख्या 19- ग्राम्य विकास के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 6.65 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 41.19 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.10 में सारांशित है।

तालिका-2.10: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
2029- भू-राजस्व, 2052- सचिव-सामान्य सेवाएँ, 2053- जिला प्रशासन, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2075- विविध सामान्य सेवाएँ, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2015-16	2,082.10	284.81	2,366.91	1,696.36	670.55	28.33	----
	2016-17	2,666.17	203.23	2,869.40	1,583.60	1,285.80	44.81	(-)-6.65
	2017-18	1,735.54	19.52	1,755.06	931.26	823.80	46.94	(-)-41.19

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान ₹ 670.55 करोड़ (28.33 प्रतिशत) और ₹ 1,285.80 करोड़ (44.81 प्रतिशत) के बीच निरंतर बचत हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 19.52 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 1,735.54 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 931.26 करोड़) से अधिक था।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि तालिका-2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.11: अनुदान में पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2015-16	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1.	2029-00-103-03	10,896.72	10,493.35	11,525.00	(-)403.37	(+)1,031.65	(-)3.70	(+)9.83
2.	2029-00-800-03	817.22	917.04	0.00	(+)99.82	(-)917.04	(+)12.21	(-)100.00
3.	2070-00-104-04	663.28	809.56	1,007.46	(+)146.28	(+)197.90	(+)22.05	(+)24.45
4.	2070-00-107-04	432.46	531.42	719.69	(+)98.96	(+)188.27	(+)22.88	(+)35.43
5.	2070-00-107-11	276.82	132.85	0.00	(-)143.97	(-)132.85	(-)52.01	(-)100.00
6.	2245-05-800-13	14,613.65	35,567.54	0.00	(+)20,953.89	(-)3,5567.50	(+)143.39	(-)100.00
7.	2245-80-800-01	32,720.45	18,689.98	16,792.74	(-)14,030.50	(-)1,897.24	(-)42.88	(-)10.15
8.	2245-80-800-03	4,886.14	2,166.46	0.00	(-)2,719.68	(-)2,166.46	(-)55.66	(-)100.00
9.	2245-80-800-97	70,000.00	79,153.00	0.00	(+)9,153.00	(-)79,153.00	(+)13.08	(-)100.00
10.	2245-05-101-01	27,436.00	22,000.00	23,100.00	(-)5,436.00	(+)1,100.00	(-)19.81	(+)5.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में, 20.16 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। तथापि, वह वर्ष 2017-18 के दौरान 8,119.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि निम्न तालिका-2.12 में सारांशित है।

तालिका-2.12: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल/ अनुपूरक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति (₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवायें पर पूँजीगत परिव्यय	2015-16	4.81	8.50	13.31	8.88	4.43	33.28	--
	2016-17	80.70	1.00	81.70	7.09	74.61	91.32	(-)20.16
	2017-18	708.40	20.50	728.90	582.75	146.15	20.05	(+)8,119.32

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 4.43 करोड़ (33.28 प्रतिशत), ₹ 74.61 करोड़ (91.32 प्रतिशत) और ₹ 146.15 करोड़ (20.05 प्रतिशत) निरंतर बचत हुई थी। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 80.70 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 7.09 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 20.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 708.40 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 582.75 करोड़) से अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान वर्ष के अंत तक निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया।

तालिका-2.13: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुपयोगी समय प्रावधान की सारिकृत स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	बचत
1.	2015-16	2029-00-103-01	2,500.00	2,500.00
2.		2245-80-102-01	150.00	150.00
3.	2016-17	2029-00-103-01	2,000.00	2,000.00
4.		2070-00-800-01	177.74	177.74
5.		2245-80-102-01	150.00	150.00
6.		2245-80-800-05	1,000.00	1,000.00
7.	2017-18	2245-80-102-10	500.00	500.00
8.		2245-80-800-12	120.00	120.00
9.		4059-60-051-07	200.00	200.00
10.		4059-60-051-09	120.00	120.00
11.		4250-00-101-01	500.00	500.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0029, 0070 और 0075 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समय स्थिति तालिका-2.14 में सारिकृत है।

तालिका-2.14: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0029, 0070 और 0075 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	संशोधित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	74.02	73.85	65.56	(-)8.29	(-)11.23
2016-17	89.35	210.88	192.25	(-)18.63	(-)8.83
2017-18	124.67	95.67	178.96	(+)83.29	(+)87.06

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.15 में दिया गया है।

तालिका-2.15: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान प्राप्तियों की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिश्चित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिश्चित अनुमान से विचरण (प्रतिशत में)
1.	0029-01-101	2015-16	11.00	11.00	27.88	(+)16.88	(+)153.45
		2016-17	20.20	29.24	29.21	(-)0.03	(-)0.10
		2017-18	34.00	30.00	11.23	(-)18.77	(-)62.57
2.	0029-01-103	2015-16	5.00	5.00	0.00	(-)5.00	(-)100.00
		2016-17	5.50	0.40	0.40	0.00	0.00
		2017-18	6.00	6.00	0.12	(-)5.88	(-)98.00
3.	0029-01-105	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2016-17	0.00	100.01	100.01	0.00	0.00
		2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	0029-01-800	2015-16	1.12	1.12	0.00	(-)1.12	(-)100.00
		2016-17	1.23	29.95	29.90	(-)0.05	(-)0.17
		2017-18	30.03	7.03	12.72	(+)5.69	(+)80.94

5.	0070-01-102	2015-16	31.60	31.60	43.16	(+11.56	(+36.58
		2016-17	34.76	41.00	38.81	(-)2.19	(-)5.34
		2017-18	44.60	44.60	143.55	(+98.89	(+221.43
6.	0070-01-800	2015-16	0.11	0.11	0.00	(-)0.11	(-)100.00
		2016-17	0.12	0.73	0.06	(-)0.67	(-)91.78
		2017-18	0.00	0.00	0.01	(+)0.01	0.00
7.	0070-02-800	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2016-17	0.00	0.05	0.00	(-)0.05	(-)100.00
		2017-18	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100.00
8.	0070-60-105	2015-16	0.00	0.00	0.02	(+)0.02	0.00
		2016-17	0.00	0.24	0.00	(-)0.24	(-)100.00
		2017-18	0.15	0.15	0.00	(-)0.15	(-)100.00
9.	0070-60-110	2015-16	0.13	0.13	0.00	(-)0.13	(-)100.00
		2016-17	0.14	0.25	0.00	(-)0.25	(-)100.00
		2017-18	0.30	0.30	0.00	(-)0.30	(-)100.00
10.	0075-01-105	2015-16	21.00	21.00	19.14	(-)1.86	(-)8.86
		2016-17	23.10	5.63	5.64	(+)0.01	(+)0.18
		2017-18	6.00	4.00	0.70	(-)3.30	(-)82.50
11.	0075-01-108	2015-16	2.00	2.00	0.00	(-)2.00	(-)100.00
		2016-17	2.20	1.00	4.89	(+)3.89	(+)389.00
		2017-18	2.00	2.00	4.23	(+)2.23	(+)111.50
12.	0075-01-800	2015-16	1.00	1.00	3.84	(+)2.84	(+)284.00
		2016-17	1.10	1.10	16.48	(+)15.38	(+)1398.18
		2017-18	0.00	0.00	6.38	(+)6.38	0.00
13.	0075-01-900	2015-16	0.00	0.00	-28.47	(-)28.47	0.00
		2016-17	0.00	0.00	-33.17	(-)33.17	0.00
		2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 19- ग्राम्य विकास

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से 18.95 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से 3.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.16 से सारांशित है।

तालिका-2.16: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल / वास्तविक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)	व्यय में वृद्धि (प्रतिशत में)
2501- ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, 2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम	2015-16	833.11	73.99	907.10	780.14	126.96	14.00	---
	2016-17	1,112.82	5.18	1,117.99	632.34	485.65	43.44	(-)18.95
	2017-18	1,175.13	37.13	1,212.25	654.44	557.81	46.01	(+)3.49

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹ 126.96 करोड़ (14.00 प्रतिशत) और ₹ 557.81 करोड़ (46.01 प्रतिशत) के बीच निरंतर बचत थी। वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 73.99 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 833.11 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 780.14 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 5.18 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन

(₹ 1,112.82 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 632.34 करोड़) से अधिक था। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 37.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,175.13 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 654.44 करोड़) से अधिक था।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि निम्न तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: अनुदान में पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति में विचलन

लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
2515-00-003-03	645.17	696.75	830.29	(+)51.58	(+)133.54	(+)7.99	(+) 19.17
2515-00-101-03	568.30	627.70	736.98	(+)59.40	(+)109.28	(+)10.45	(+) 17.41
2515-00-102-01	110.39	60.11	40.00	(-)50.28	(-)20.11	(-)45.55	(-)33.46
2515-00-102-28	69.81	162.14	276.26	(+)92.33	(+)114.12	(+)132.26	(+) 70.38
2515-00-102-97	5,041.89	7,283.44	7,500.00	(+)2,241.55	(+)216.56	(+)44.46	(+)2.97
2515-00-800-03	3,069.53	3,476.74	0.00	(+)407.21	(-)3,476.74	(+)13.27	(-) 100.00
2515-00-800-06	414.20	202.99	0.00	(-)211.21	(-)202.99	(-)50.99	(-) 100.00
2515-00-800-08	6,438.42	7,527.19	118.37	(+)1,088.77	(-)7,408.82	(+)16.91	(-)98.43

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2016-17 के दौरान 4.42 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 60.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.18 में सारांशित है।

तालिका-2.18: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजनाएँ	2015-16	638.11	148.00	786.11	734.31	51.80	6.59	---
	2016-17	772.10	0.00	772.10	701.85	70.26	9.10	(-)4.42
	2017-18	972.50	210.66	1,183.16	1,128.00	55.16	4.66	(+)60.72

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मुख्य शीर्ष 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजनाएँ में वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 51.80 करोड़ (6.59 प्रतिशत), ₹ 70.26 करोड़ (9.10 प्रतिशत) और ₹ 55.16 करोड़ (4.66 प्रतिशत) की निरंतर बचत थी।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान वर्ष के अंत तक समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका संख्या-2.19 में दिया गया है।

तालिका-2.19: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग (₹ लाख में)
1.	2015-16	2515-00-102-27	100.00	0.00	100.00
2.		2515-00-102-30	0.00	600.00	600.00
3.	2016-17	2515-00-102-07	120.40	0.00	120.40
4.		2515-00-102-12	200.00	0.00	200.00
5.		2515-00-102-27	100.00	0.00	100.00
6.		2515-00-102-31	1,000.00	0.00	1,000.00
7.		2515-00-102-33	300.00	0.00	300.00
8.	2017-18	2501-02-800-01	100.01	0.00	100.01
9.		2515-00-102-07	120.00	0.00	120.00
10.		2515-00-102-12	100.00	0.00	100.00
11.		2515-00-102-27	100.00	0.01	100.01
12.		2515-00-102-30	100.00	0.00	100.00
13.		4515-00-102-09	200.00	0.00	200.00
14.		4515-00-102-12	500.00	0.00	500.00
15.		4515-00-102-15	200.00	0.00	200.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान अनुदान के मुख्य शीर्ष 0501, 0505 एवं 0515 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.20 में सारिकृत है:-

तालिका-2.20: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0501, 0505 तथा 0515 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
2015-16	2.01	3.81	5.71	(+)1.90	(+)49.87
2016-17	5.01	8.70	8.80	(+)0.10	(+)1.15
2017-18	9.91	9.91	4.83	(-)5.08	(-)51.26

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.21 में दिया गया है।

तालिका-2.21: प्राप्तियों की स्थिति, लघु शीर्ष 0501, 0505 तथा 0515

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
1.	0515-01-101	2015-16	2.01	3.81	5.65	(+)1.84	(+)48.29
		2016-17	5.00	0.14	8.79	(+)8.65	(+)6,178.57
		2017-18	1.51	1.51	4.73	(+)3.23	(+)213.90
2.	0515-01-102	2015-16	0.01	0.01	0.00	(-)0.01	(-)100.00
		2016-17	0.01	5.46	0.00	(-)5.46	(-)100.00
		2017-18	5.20	5.20	0.00	(-)5.20	(-)100.00
3.	0515-01-800	2015-16	0.00	0.00	0.06	(+)0.06	0.00
		2016-17	0.00	3.10	0.02	(-)3.08	(-)99.35
		2017-18	3.20	3.20	0.09	(-)3.11	(-)97.19

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा पुनरिक्षित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय विचलन थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

2.5 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

राज्य में वर्ष 2017-18 के दौरान 91 इकाईयों अर्थात् 19 कोषागार तथा 70 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार देहरादून में और एक वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में थे। वर्ष 2017-18 में 54 इकाईयों³ के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गयी जिसे तालिका-2.22 में समाहित किया गया है।

तालिका-2.22: कोषागारों की जाँच के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	टी आर 24 द्वारा निकाली गई असमायोजित धनराशि	2.50
2.	पी. एल. ए. खातों से अनियंत्रित धन की निकासी	26.01
3.	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेंशन धारकों से स्रोत पर आयकर कटौती न करना	0.40

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2017-18।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। आकस्मिकता निधि का कोष वर्ष के दौरान ₹ 250 करोड़ से कम हो गया था तथा वर्ष 2017-18 के अंत में ₹ 500 करोड़ जमा रहा। निधि से अग्रिमों के किसी भी आहरण को उसी वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। तथापि, वर्ष 2017-18 दौरान ₹ 231.50 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2018 तक विधायी द्वारा अधिकृत होने के पश्चात सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 5 (2001 के अधिनियम 2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे (परिशिष्ट-2.12)। अनुदानों एवं मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वर्षवार प्रतिपूर्ति न हुयी निधियों को परिशिष्ट-2.13 में दर्शाया गया है।

निकास गोष्ठी (दिसंबर 2018) के दौरान यह अवगत कराया गया कि प्रतिपूर्ति न हुई सभी निधियों की प्रतिपूर्ति कर ली गई है।

तालिका-2.23: आकस्मिकता निधि से व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	आकस्मिकता निधि अग्रिम	प्राकृतिक आपदा पर व्यय	प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य व्यय		प्राकृतिक आपदा के अलावा व्यय की प्रतिशतता
			पूँजीगत व्यय	अन्य पूँजीगत व्यय	
2013-14	194.48	00	106.42	88.06	100.00
2014-15	194.15	10.00	58.38	125.77	94.85
2015-16	385.46	00	35.04	350.42	100.00
2016-17	227.70	1.77	15.46	210.47	99.22
2017-18	231.50	4.87	161.52	65.11	97.90
योग	1,233.29	16.64	376.82	839.83	

(₹ करोड़ में)

³ 21 कोषागार और 33 उपकोषागार।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर, जो कि आकस्मिक प्रकृति का है, आकस्मिक निधि के शून्य से 5.15 प्रतिशत के बीच व्यय किया। हालाँकि, सरकार ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि में पूँजीगत उद्देश्यों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 376.82 करोड़ (30.55 प्रतिशत) अग्रिमों को बहाल किया। वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिक निधि से मिले पूँजीगत व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि देहरादून में कोर्ट परिसर का निर्माण (₹10.00 करोड़); मुंबई में उत्तराखण्ड भवन और एम्पोरियम का निर्माण (₹ 3.96 करोड़); कोलकाता की एक फर्म को अग्रिम राशि की वापसी (₹ 1.91 करोड़); राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु राज्यांश (₹ 3.83 करोड़); और सिंचाई कार्यों पर (₹ 12.00 करोड़) किया गया व्यय प्राकृतिक आपदा के कार्यों से संबन्धित नहीं था। इसके अलावा, 39 खण्डों द्वारा सड़क और पुल के निर्माण पर ₹ 128.33 करोड़ भी खर्च किए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से पाँच करोड़ से अधिक खर्च करने वाले पाँच खण्डों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित कार्यों पर ₹ 51.56 करोड़ में से केवल ₹ 0.27 करोड़ ही खर्च किए गए। उपरोक्त व्यय आकस्मिक निधि के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन था।

2.7 (अ) सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक ए सी बिल में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पूर्व के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर करने और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2018 के अन्त तक ₹ 0.59 करोड़ के 16 ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष था। वर्षवार विवरण तालिका-2.24 में दिया गया है।

तालिका-2.24: सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में विलम्ब (मार्च 2018 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	अवशेष डी सी बिल	
	संख्या	राशि
2015-16 तक	5	0.35
2016-17	7	0.18
2017-18	4	0.06
योग	16	0.59

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित सूचना।

₹ 0.59 करोड़ के कुल बकाया डी सी सी बिलों में से, ₹ 0.43 करोड़ के सात बकाया डी सी सी बिल निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं। वर्ष 2017-18 तक की अवधि के लिए विभाग / कार्यालयवार लंबित डी सी सी बिलों की स्थिति परिशिष्ट-2.14 में दी गई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान एसी बिलों के खिलाफ सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का विवरण निम्न चार्ट में दिया गया है:

चार्ट-2.6: बकाया डी सी बिल



ए सी बिलों के सापेक्ष बकाया विस्तृत बिलों में पर्याप्त कमी थी और ₹ 0.59 करोड़ की धनराशि के केवल 16 डी सी बिल मार्च 2018 के अंत तक बकाया थे।

2.7 (ब) असमाधानित व्यय

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसे बजट आवंटनों के अन्तर्गत सीमित रखने तथा उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने हेतु उत्तराखण्ड बजट मैन्युअल 2012 का प्रस्तर 109 निर्धारित करता है कि उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों कि ओर से चूक वर्ष 2017-18 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं।

वर्ष 2017-18 के दौरान 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से 48 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (77.42 प्रतिशत) द्वारा ₹ 34,997.06 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 31,263.90 करोड़ (89.33 प्रतिशत) का ऐसा समाधान पूर्णतः किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान छः नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 2,333.18 करोड़ (कुल व्यय का 6.67 प्रतिशत) असमाधानित रहे जैसा कि तालिका-2.25 में वर्णित है।

तालिका-2.25: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2017-18 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाइपुर देहरादून	308.12
2.	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	49.39
3.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, उत्तराखण्ड देहरादून	40.16
4.	उपनिदेशक, निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड	1,518.72
5.	आयुक्त, श्रम, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	229.50
6.	वित्त नियंत्रक, जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	187.29
योग		2,333.18

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित आँकड़े।


उपर्युक्त विभागों के मुख्य नियन्त्रण अधिकारियों को महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन करने में विफल रहने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हालांकि अब तक (फरवरी 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखों के समाधान न करने के फलस्वरूप निरस्त किए गए उप मुख्य शीर्ष को कुछ नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा चलन में जारी है।

सरकार को गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाशोधन को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.8 बजट प्रक्रिया

बजट तैयारी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट निम्न है:

चार्ट-2.7: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



स्रोत: बजट मैनुअल के प्रस्तर 210 पर आधारित।

विभागीय अनुमान और जिले के अनुमान दोनों को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, ताकि अनुमान न तो आधिक और न ही कम हो जितना संभव हो उतने परिशुद्ध हो।

लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि बजट की तैयारी में विभिन्न दोष थे जो विधायी नियंत्रण में अपनी भूमिका को कमजोर करते हैं तथा सरकार के लिए धन के प्रवाह की अनुश्रवण हेतु एक उपकरण के तौर पर भी हैं।

2.8.1 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में निम्न कमियाँ पायी गई थीं।

- i. मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत केवल एक उप-मुख्यशीर्ष 05-राज्य आपदा मोचन निधि को दिखाया गया है जिसके अंतर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय प्राविधानित है जबकि मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार उप-मुख्यशीर्ष 01-सूखा तथा 02-बाढ़ और चक्रवात को नहीं दिखाया गया है।
- ii. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059 में उप-मुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 "रखरखाव तथा मरम्मत" दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे उप-मुख्यशीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 रखरखाव तथा मरम्मत होना चाहिए था।
- iii. अनुदान संख्या-07 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2052 में, लघुशीर्ष 800 "अन्य व्यय" के रूप में दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्ष "091-संलग्न कार्यालय" एवं "092-अन्य कार्यालय" का प्रावधान है।
- iv. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-IV में अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2211 में लघुशीर्ष 101-"अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान" दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे लघुशीर्ष 101-"ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ" होना चाहिए।
- v. बजट साहित्य के खंड-V भाग-I के अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2055 में लघुशीर्ष 800 "अन्य व्यय" के रूप में खोला गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
- vi. बजट साहित्य के अनुसार पूँजीगत लेखा शीर्ष-4406 में लघु निर्माण कार्य में व्यय का प्रावधान किया गया है जबकि नियमानुसार लघु निर्माण कार्य से संबन्धित व्यय का प्रावधान राजस्व लेखे के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- vii. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4701 में उप-मुख्यशीर्ष 80 के अंतर्गत लघुशीर्ष 006-"हाई-टेक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द आइडिया" को दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
- viii. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4701 में उप-मुख्यशीर्ष 80 के अंतर्गत लघुशीर्ष 190 "सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" को दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" होना चाहिए।
- ix. बजट साहित्य के खंड-V, भाग-III के अनुदान संख्या 21 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 6801 में उप-मुख्यशीर्ष 05 के अंतर्गत लघुशीर्ष 190 "सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश" को

दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार इसे "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों में कर्ज" होना चाहिए।

इसी प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 में भी उल्लेखित थी। हालांकि, सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

2.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 42,973.53 करोड़ के समग्र अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 471.23 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत छः अनुदानों और पूँजीगत भारत के अंतर्गत एक विनियोग में ₹ 6,413.39 करोड़ का आधिक्य था तथा तीस अनुदानों एवं आठ विनियोग में ₹ 5,942.15 करोड़ की बचत थी, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचत बजट अनुमान में कमी को इंगित करती हैं। 34 प्रकरणों में ₹ 1,367.58 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 66 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप या तो बचत हुई अथवा प्रावधानों में आधिक्य हुआ। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस में ₹ 237.29 करोड़ समर्पित किये जिससे इन निधियों को अन्य विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। तीन प्रकरणों में ₹ 0.15 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत / आधिक्य का आंकलन एवं अभ्यर्पण कर सकती है ताकि उनका अन्य क्षेत्रों / योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके। आधिक्य व्यय की संभावना से बचने के लिए यह पर्याप्त निधि प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2005-06 से 2016-17 तक की अवधि से संबन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 20,780.77 करोड़ अभी भी तक राज्य विधान मंडल से नियमित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार अपने व्यय बजट की योजना को अधिक कठोर बना सकती है ताकि यह अनुमोदित अनुदानों और विनियोगों से होने वाले आधिक्य से बचे।

22 प्रकरणों में ₹ 231.50 करोड़ की एक महत्वपूर्ण धनराशि को आकस्मिकता निधि के अंतर्गत स्वीकृत किया गया तथा सम्पूर्ण धनराशि 31 मार्च 2018 तक अप्रतिपूर्ति रही।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का उपयोग केवल उस खर्च को पूरा करने के लिए किया जो आकस्मिक प्रकृति का हो तथा निधि से निकली गयी उस राशि की प्रतिपूर्ति भी समय पर हो।

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा मार्च 2018 तक ₹ 0.59 करोड़ के आहरित सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत (मार्च 2017) नहीं किया गया था।

राज्य सरकार निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष आहरित अग्रिमों को समायोजित करने के लिए कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियां परिलक्षित हुयी। चौदह नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से मिलान नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में कमियाँ पाई गयी, जिन्हें दूर नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को अपने व्ययों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से समयोचित / अवधिवार समाशोधन करने हेतु निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय-3
वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हो तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेर्य धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 12 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2018 तक ₹ 343.04 करोड़ की धनराशि के कुल 209 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे, जैसाकि परिशिष्ट-3.1 में दर्शाया गया है। इनमें से, ₹ 219.42 करोड़ धनराशि के 146 उपयोगिता प्रमाण पत्र दो वर्षों से तथा ₹ 123.62 करोड़ धनराशि के 63 उपयोगिता प्रमाण पत्र दो वर्षों से अधिक से लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण के सम्बंध में अवधि-वार स्थिति तालिका-3.1 में सारांशित है।

तालिका-3.1: मार्च 2018 तक उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अवधि-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
1.	2015-16 तक	63	123.62
2.	2016-17	39	41.30
3.	2017-18 #	107	178.12

जहां स्वीकृति आदेश अन्यथा निर्दिष्ट करता है के सिवाय, 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल 2018-19 में देय होते हैं

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2017-18।

विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्च 2017 तक विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिये गये ₹ 164.92 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 102 उपयोगिता प्रमाण-पत्र मार्च 2018 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का लम्बित रहना, निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ था।

3.2 सरकार द्वारा मूलतः वित्तपोषित संस्थानों से संबंधित सूचनाओं की अप्राप्ति

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित किये जाने वाले संस्थानों के सम्बंध में सरकार/ विभागाध्यक्षों को ऐसे विभिन्न संस्थानों को प्रतिवर्ष दी गयी वित्तीय सहायता, उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो तथा संस्थान के कुल व्यय का विस्तृत विवरण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिनियम 2007 उपलब्ध कराते हैं कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो अनुदान एवं / अथवा ऋण, निकायों एवं प्राधिकारियों को स्वीकृत करते हैं, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों के जिन्हे पिछले वर्ष ₹ 10 लाख या उससे अधिक अनुदान एवं ऋण प्रदत्त किया हो, का विवरण (अ) सहायतित धनराशि (ब) उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो और (स) संस्था प्राधिकारी के कुल व्यय को दर्शाते हुये प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया कि ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और / अथवा ऋण प्राप्त 29 संस्थाओं / प्राधिकारियों में से 24 विभागाध्यक्षों ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की जाने वाली संस्थाओं की सही पहचान नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता की प्रवृत्तिके सम्बंध में विधायिका / सरकार को आश्वासन नहीं दे सका।

निकास गोष्ठी के दौरान राज्य के वित्त विभाग ने आश्वासन दिया कि सभी निकायों / प्राधिकरणों को, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालय को जानकारी प्रदान करने के लिए, एक परिपत्र जारी किया जाएगा जिनके पक्ष में अनुदान / ऋण स्वीकृत किया गया था।

3.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियाँ करने वाले कुछ सरकारी विभागों के तीन विभागीय उपक्रमों को प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा खाते तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय संचालन के कार्य परिणामों को दर्शाते हैं ताकि सरकार उनके कामकाज का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक और अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम वार्षिक खाते, उनके व्यवसाय के संचालन में उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और दक्षता को दर्शाते हैं। वार्षिक लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधानमण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के स्राव की सम्भावना भी बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखा परीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करें। मार्च 2018 तक, प्रोफार्मा लेखों को तैयार करने और सरकार द्वारा किए

गए निवेश में बकाया की विभागवार स्थिति **परिशिष्ट-3.2** में दी गई है। लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितताओं का पता न चलने का जोखिम रहता है।

3.4 लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन इन्द्राज

विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ एवं ‘अन्य प्राप्तियाँ’ का संचालन केवल उस समय किया जाये जब खाता चार्ट में उचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाये क्योंकि इससे खाते अपारदर्शी होते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व लेखों में 30 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष-800 ‘अन्य व्यय’ के अधीन ₹ 593.20 करोड़ की राशि, इन मुख्य शीर्षों के व्यय (₹ 21,120.55 करोड़) का 2.81 प्रतिशत एवं कुल राजस्व व्यय (₹ 29,082.69 करोड़) का 2.04 प्रतिशत थी, इन्द्राज की गयी थी। इसी प्रकार, लेखाओं में 36 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष-800 ‘अन्य प्राप्तियों’ के अधीन ₹ 626.23 करोड़ की राशि, इन मुख्य शीर्षों की राजस्व प्राप्तियों (₹ 10,169.56 करोड़) का 6.16 प्रतिशत एवं कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 27,104.57 करोड़) का 2.31 प्रतिशत थी, इन्द्राज की गयी थी। दृष्टान्त, जिनमें प्राप्ति और व्यय का पर्याप्त भाग (20 प्रतिशत अथवा अधिक एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक) लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ और लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ में वर्गीकृत किया गया था, को **तालिका-3.2** में दर्शाये गए हैं।

तालिका-3.2: लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ/ व्यय के अधीन इन्द्राज की गयी पर्याप्त धनराशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	“800-अन्य प्राप्तियाँ”				“800-अन्य व्यय”			
	मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अधीन इन्द्राज	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अधीन इन्द्राज	व्यय की प्रतिशतता
1.	0023- होटल प्राप्ति कर	19.07	19.02	99.74	2040- बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	189.82	109.82	57.85
2.	0029- भू राजस्व	24.09	12.72	52.80	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	518.75	167.93	32.37
3.	0055- पुलिस	23.56	13.93	59.13	2250- अन्य सामाजिक सेवार्ये	18.94	18.73	98.89
4.	0059- लोक निर्माण कार्य	18.69	18.59	99.46	2501- ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	121.80	28.40	23.32
5.	0406- वानिकी तथा वन्य जीव	312.09	115.10	36.88	-	-	-	-
6.	0801- ऊर्जा	286.21	286.21	100.00	-	-	-	-
	योग	683.71	465.57	68.09	योग	849.31	324.88	38.25

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2017-18।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, छह मुख्य शीर्षों से संबंधित लगभग 68 प्रतिशत प्राप्तियाँ लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत इन्द्राज की गई थीं। इसी तरह, चार मुख्य शीर्षों से संबंधित राजस्व व्यय का लगभग 38 प्रतिशत 800-अन्य व्यय के अंतर्गत तहत बुक किया गया था। लघु शीर्ष ‘800’-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अधीन अत्याधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन

उत्तर प्रदेश पुनःसंगठन अधिनियम 2000, के संदर्भ में उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य अप्रैल 2000 से मार्च 2011 तक बकाया पेंशन दायित्वों का प्रभाजन पूर्ण हो चुका है। मार्च 2011 के पश्चात बकाया पेंशन का प्रभाजन दोनों सरकारों के मध्य विचाराधीन है।

3.6 उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य अनावंटित शेष

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2017-18 के परिशिष्ट-XIII के अनुसार, जमा और अग्रिम के तहत शेष राशि ₹ 8,758.82 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले (मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550- सिविल अग्रिम तक) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य विभाजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के गठन के लगभग दो दशक बाद भी शेष है।

3.7 निवेश

राज्य सरकार ने उनके द्वारा सरकारी कंपनियों / निगमों में किए गए निवेश की जानकारी उपलब्ध/पुष्टि नहीं करवाई है। वित्त लेखों में निहित जानकारी मुख्य रूप से सरकारी निवेशों की जानकारी पर आधारित होती है जो महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा वाउचर से प्राप्त की जाती हैं। वित्त लेखों में दिखाए गए (₹ 3,209 करोड़) निवेश के आँकड़े, संस्थाओं, जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए हैं, के अभिलेखों (₹ 3,270 करोड़) के साथ असमाशोधन के अधीन हैं।

3.8 भारत सरकार के लेखा मानक (आई जी ए एस) का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई जी ए एस) अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखा मानकों का अनुपालन तालिका 3.3 में विस्तृत है।

तालिका-3.3: आई जी ए एस का कार्यान्वयन

आई जी ए एस	कार्यान्वयन की स्थिति	टिप्पणियाँ
आई जी ए एस-I (सरकार द्वारा दी गई गारंटी)	अनुपालन नहीं किया	राज्य सरकार ने बकाया गारंटी पर सीमित जानकारी प्रदान की है। गारंटी की अधिकतम राशि, वर्ष के दौरान अतिरिक्त/आवाहन/अवमुक्त/अवमुक्त नहीं, गारंटी कमिशन प्राप्त/प्राप्त, इत्यादि के बारे में राज्य सरकार द्वारा अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
आई जी ए एस-II (सहायता अनुदान-जीआईए का लेखा और वर्गीकरण)	अनुपालन नहीं किया	वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने छह पूँजीगत मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 47.98 करोड़ का अनुदान दिया, जो कि आई जी ए एस-2 का उल्लंघन था।
आई जी ए एस-III (सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम)	आंशिक रूप से लागू किया गया	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर वित्त खातों के विवरण 7 और 18 को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सीमा तक, आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। विभिन्न ऋण संस्थाओं से बकाया राशि के पुनर्भुगतान की जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। राज्य सरकार के विभागों ने बकाया मूलधन और ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, जो शाश्वत में स्वीकृत हैं। नतीजतन, आई जी ए एस-3 की आवश्यकताओं को इन लेखों में पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है।

3.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

विभागीय अधिकारियों ने, विशेष उद्देश्यों के लिए मार्च 2017 तक दिये गये अनुदान ₹ 164.92 करोड़ के 102 उपयोगिता प्रमाण पत्रों (मार्च 2018 तक जमा करने हेतु देय) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया।

सरकार विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित कर सकती है।

विभागाध्यक्षों द्वारा ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों के वित्तीय विवरणों से संबन्धित सूचनाएं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे जिनको पिछले वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक के अनुदान अथवा ऋण का भुगतान किया गया था। इसलिए ऐसे संस्थानों की जिनकी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जानी थी, पहचान नहीं की जा सकी।

सरकार, अनुदान या ऋण प्राप्त करने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं एवं अन्य इकाइयों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु इस तरह के विवरणों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर सकती है।

व्यय एवं प्राप्तियों की महत्वपूर्ण धनराशियां विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियाँ' में इंद्राज की गई, जिससे वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत समस्त मदों की विस्तृत समीक्षा कर सकती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु इस तरह की समस्त प्राप्ति एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्षों में इंद्राज करना सुनिश्चित कर सकती है।

देहरादून

दिनांक : 05 जुलाई 2019



(एस. आलोक)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 11 जुलाई 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

पारिशिष्ट-1
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

अ. सामान्य आँकड़े*

क्र.सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
2.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.86 लाख
3.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		11.30 प्रतिशत
5.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
6.	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 37 प्रति 1000 जीवित जन्म)		38
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15 में अखिल भारतीय औसत = 68.30)		71.80
8.	एच डी ई मूल्य (2007-08) उत्तराखण्ड		0.49
	एच डी ई रैंक (2007-08) उत्तराखण्ड		14
9.	गिनी गुणांक** 2009-10 (यू आर पी)		
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.29)	0.26
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय = 0.38)	0.36
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2017-18 चालू मूल्य पर		2,17,609
11.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)	उत्तराखण्ड	14.70
		विशेष श्रेणी राज्य	13.30
12.	जीएसडीपी सीएजीआर (2008-09 से 2017-18)	उत्तराखण्ड	16.30
		विशेष श्रेणी राज्य	14.60
13.	जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)	उत्तराखण्ड	12.90
		विशेष श्रेणी राज्य	11.10

ब. वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर								
विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)					
सी ए जी आर			2008-09 से 2016-17		2012-13 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
			उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए	उत्तराखण्ड के लिए	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए
क	राजस्व प्राप्तियों का		14.15	13.70	12.12	12.40	8.90	10.40
ख	राजस्व कर का		17.28	16.00	14.17	11.90	-6.72	20.00
ग	करेत्तर राजस्व का		8.54	8.30	-4.27	10.60	31.50	8.00
घ	कुल व्यय		14.16	13.70	14.35	12.90	15.41	10.60
ङ	पूँजी व्यय		11.89	7.80	8.75	11.40	19.38	19.60
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय		14.48	16.60	9.53	12.50	20.41	15.80
छ	स्वास्थ्य में राजस्व व्यय		16.80	18.00	15.37	16.20	12.26	20.50
ज	वेतन		13.97	14.70	10.94	9.50	21.06	20.60
झ	पेंशन		18.27	18.80	23.42	12.70	58.77	28.10

*स्रोत: आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय।

**गिनी गुणांक जनसंख्या के बीच आय की असमानता की एक माप है। मान की दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है, एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ:पृष्ठ 1)

भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना	
सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।	
भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।	
भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।	
भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खण्ड I	
भाग I - संक्षिप्त विवरण	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण अ. प्रकार्य अनुसार व्यय ब. प्रवृत्ति अनुसार व्यय
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण
विवरण संख्या-6	उधारी एवं अन्य दायित्व का विवरण
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
विवरण संख्या-8	सरकार के निवेशों का विवरण
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण
विवरण संख्या-10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण
विवरण संख्या-11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण
विवरण संख्या-12	राजस्व लेखा से भिन्न व्यय हेतु निधि का स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
विवरण संख्या-13	संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा के अधीन शेष का सारांश
खण्ड II	
भाग II - विस्तृत विवरण	
विवरण संख्या-14	लघु शीर्ष से राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-15	लघु शीर्ष से राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-16	लघु शीर्ष एवं उप शीर्ष से पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-17	लघु शीर्ष से उधारियाँ एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-18	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-19	निवेशों का विस्तृत विवरण

विवरण संख्या-20	सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण
विवरण संख्या-22	निवेशों के उद्दिष्ट शेषों का विस्तृत विवरण
भाग III - परिशिष्ट	
परिशिष्ट-I	वेतन पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-II	सहायिकी पर तुलनात्मक विवरण
परिशिष्ट-III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा प्रदान सहायता (संस्थागत एवं योजनागत)
परिशिष्ट-IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-V	योजना स्कीम व्यय (अ. केन्द्रीय स्कीम ब. राज्य स्कीम)
परिशिष्ट-VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का सीधा अंतरण (निधियां राज्य बजट के अन्यत्र मार्ग से अंतरित) (गैर-लेखापरीक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट-VII	खाता-बही एवं बड़ा चिह्न के शेषों/गैर-समाधित अंतरों की स्वीकृति
परिशिष्ट-VIII	सिंचाई निर्माणकार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-IX	अपूर्ण लोक निर्माण ठेकों पर वचनबद्धता का विवरण(31 मार्च 2018 को)
परिशिष्ट-X	2017-18 में राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण (31 मार्च 2018 को)
परिशिष्ट-XI	वर्ष के दौरान भविष्य नकदी प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के संबंध में निहितार्थ मुख्य नीति-विषयक निर्णयों का विवरण (31 मार्च 2018 को)
परिशिष्ट-XII	भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों का विवरण
परिशिष्ट-XIII	ऐसे मदों का विवरण जिनके लिए राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेष नियतन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है

परिशिष्ट-1.2

भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) द्वारा एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्पादकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) की प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
स रा घ उ की वृद्धि दर	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

*अनन्तिम *त्वरित *अग्रिम

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्पादकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्पादकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व})/2]*100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{प्रारम्भिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटावसमस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-1.2

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर:1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में एवं चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिसम्बर 2016 में संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणियता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

विशेष रूप से राज्य सरकार-

- (क) राज्य राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत रखेगी। किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें 0.25 प्रतिशत की छूट करने के योग्य होगा, यदि पिछले वर्ष ऋण स रा घ उ 25 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ख) इसके साथ-साथ किसी भी वर्ष जिसमें उधारों की सीमा निश्चित की गयी है, राज्य इसमें उधारों की सीमा स रा घ उ की 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त करने के योग्य होगा, यदि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष के राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम या बराबर है।
- (ग) छूट प्रावधान के अंतर्गत राज्य द्वारा इन दो विकल्पों का लाभ अलग अलग लिया जा सकता है यदि उपरोक्त मानदंड में से कोई भी पूर्ण होता है या एक साथ भी ले सकता है यदि उपरोक्त दोनों मानदंडों को पूर्ण करता है। इस प्रकार राज्य किसी भी दिये वर्ष में स रा घ उ राजकोषीय घाटा की सीमा 3.5 प्रतिशत रख सकता है।
- (घ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (ङ) किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कुल बकाया प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी वर्ष दी जाने वाली नई प्रत्याभूति उस वर्ष की स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (बजटीय)	2017-18 (पुनरीक्षित)	2018-19 (परिलक्षित)	2019-20 (परिलक्षित)	2020-21 (परिलक्षित)	2021-22 (परिलक्षित)
अ. राज्य का राजस्व लेखा							
1. स्वयं का कर राजस्व	10,897.32	13,780.28	13,450.16	14,963.62	17,058.53	19,105.55	21,398.22
2. स्वयं का करेत्तर राजस्व	1,345.82	2,468.71	2,477.24	3,470.51	2,387.56	2,530.81	2,682.66
3. स्वयं का कर + करेत्तर राजस्व (1+2)	12,243.14	16,248.99	15,927.40	18,434.13	19,446.09	21,636.36	24,080.88
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कोंमें अंश	6,411.55	7,113.48	7,084.97	8,291.23	9,452.00	10,680.76	12,069.26
5. केन्द्रीय सरकार से अनुदान	6,234.27	8,230.61	6,770.61	8,934.64	9,828.10	10,712.63	11,676.77
6. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4+5)	12,645.82	15,344.09	13,855.58	17,225.87	19,280.11	21,393.40	23,746.03
7. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+6)	24,888.96	31,593.08	29,782.98	35,660.00	38,726.19	43,029.76	47,826.91
8. वेतन व्यय	9,570.88	11,859.53	11,212.63	13,765.42	15,279.62	16,960.37	18,826.02
9. पेंशन	3,170.27	4,272.28	4,750.33	5,352.50	6,958.25	9,045.73	11,759.44
10. ब्याज भुगतान	3,723.05	4,409.95	4,178.94	4,906.12	5,627.53	6,398.83	7,271.11
11. उपदान-सामान्य	---	---	---	---	---	---	---
12. उपदान-विद्युत	---	---	---	---	---	---	---
13. ब्याज भुगतान /राजस्व प्राप्ति (10/7)	14.96	13.96	14.03	13.76	14.53	14.87	15.20
14. कुल राजस्व व्यय	25,271.50	31,550.83	29,744.70	35,627.31	38,691.26	42,947.30	47,671.50
15. वेतन+ब्याज+पेंशन (8+9+10)	16,464.20	20,541.76	20,141.90	24,024.04	27,865.39	32,404.93	37,856.57
16. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (15/7)	66.15	65.02	67.63	67.37	71.95	75.31	79.15
17. राजस्व अधिशेष/घाटा (7-14)	-382.54	42.25	38.28	32.69	34.94	82.46	155.41
ब. समेकित राजस्व लेखा							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	-382.54	42.25	38.28	32.69	34.94	82.46	155.41
स. समेकित ऋण							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व*	41,599.75	47,071.18	52,487.79	59,198.13	67,213.74	76,287.90	86,550.04

2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,743.32	1,257.72	1,173.16	1,173.16	1,173.16	1,173.16	1,173.16
द. पूँजीगत लेखा							
1. पूँजीगत परिव्यय	4,954.21	5,514.38	5,551.59	6,583.79	7,900.55	9,006.62	10,267.55
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	165.05	252.35	156.35	191.98	200.00	200.00	200.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	34.85	253.05	253.05	32.74	50.00	50.00	50.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	5,466.95	5,471.43	5,416.61	6,710.34	8,015.61	9,074.16	10,262.14
य. सकल राजकोषीय घाटा (स रा घ)	5,466.95	5,471.43	5,416.61	6,710.34	8,015.61	9,074.16	10,262.14
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,95,606.10	2,19,078.80	2,17,609.50	2,43,722.60	2,72,969.30	3,05,725.60	3,42,412.70
र. राजकोषीय घाटा:							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.00	24.64	11.25	12.00	12.00	12.00	12.00
*इसमें भविष्य निधि की धनराशि समाहित है।							

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर-1.3 एवं 1.9.2, पृष्ठ 10 एवं 33)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	17,321	20,247	21,234	24,889	27,105
(i) कर राजस्व	7,356(42)	8,339 (41)	9,377 (44)	10,897 (44)	10,165 (37)
एस जी एस टी	---	---	---	---	1,972 (19)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,903(67)	5,465 (65)	6,105 (65)	7,154 (66)	3,703(37)
राज्य आबकारी	1,269(17)	1,487 (18)	1,735 (19)	1,906 (18)	2,262(22)
वाहनों पर कर	369(5)	394 (5)	471 (5)	556 (5)	816(8)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	687(10)	714 (9)	871 (9)	778 (7)	882(9)
भू-राजस्व	22(--)	39 (--)	28 (--)	160 (1)	24(--)
माल एवं यात्रियों पर कर	---	---	---	---	---
अन्य कर	106(1)	240 (3)	167 (2)	343 (3)	506 (5)
(ii) करेत्तर राजस्व	1,317(8)	1,111 (5)	1,220 (6)	1,346 (5)	1,770 (7)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	3,573(21)	3,792 (19)	5,333 (25)	6,412 (26)	7,085 (26)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	5,075(29)	7,005 (35)	5,304 (25)	6,234 (25)	8,085 (30)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	180	135	---	---	---
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	55	46	27	35	34
4. कुल राजस्व एवं ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	17,556	20,428	21,261	24,924	27,139
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,873	4,573	6,798	6,501	7,526
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	3,838(99)	4,512 (99)	6,701 (99)	6,355(98)	7,412 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	---	---	---	---	---
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	35(1)	61 (1)	97 (1)	146(2)	114 (2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ(4+5)	21,429	25,001	28,059	31,425	34,665
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	412	332	191	395	105
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	25,954	35,032	37,746	27,855	37,571
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	47,795	60,365	65,996	59,675	72,341
भाग ब. व्यय/संवितरण ¹					
10. राजस्व व्यय	16,216	21,164	23,086	25,272	29,083
आयोजनागत					
राज्य निधि व्यय	2,767(17)	5,632(27)	6,388(28)	6,344(25)	25,570(88)
आयोजनेत्तर					
केंद्रीय सहायता	13,449(83)	15,532(73)	16,698(72)	18,928(75)	3,513(12)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतानों सहित)	6,182(38)	7,402(35)	8,410(37)	9,934(39)	12,409(43)
सामाजिक सेवायें	7,298(45)	9,224(44)	9,927(43)	10,529(42)	10,929(37)

¹ वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विभाजित किया जा रहा है।

आर्थिक सेवायें	2,068(13)	3,857(18)	3,983(17)	3,903(15)	4,276(15)	
सहायता अनुदान एवं अंशदान	668(4)	681(3)	766(3)	906(4)	1,469(5)	
11. पूँजीगत व्यय	3,712	4,939	4,217	4,954	5,914	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	3,138(85)	4,780(97)	4,197(100)	4,076(82)	4,274(72)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	574(15)	159 (3)	20(--)	878(18)	1,640(28)
सामान्य सेवायें	138(4)	214(4)	111(3)	72(1)	804(14)	
सामाजिक सेवायें	841(22)	1,231 (25)	864 (20)	948 (19)	1,086 (18)	
आर्थिक सेवायें	2,733(74)	3,494 (71)	3,242 (77)	3,934 (80)	4,024 (68)	
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	278	151	83	165	77	
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	20,206	26,254	27,386	30,391	35,074	
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,317	894	1,997	1,128	1,721	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर)	1,266	866	1,966	1,093	1,681	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	---	---	---	---	0	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	51	28	31	35	40	
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	400	150	---	---	-250	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	21,923	27,298	29,383	31,519	36,545	
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	194	194	385	228	482	
18. लोक लेखा संवितरण	25,190	33,535	36,537	26,607	35,366	
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	47,307	61,027	66,305	58,354	72,393	
भाग स.घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)1,105	(-)917	(-)1,852	(-) 383	(-)1,978	
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	2,650	5,826	6,125	5,467	7,935	
22. प्राथमिक घाटा(-)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (21+23)	(-)594	(-) 3,420	(-) 3,154	(-) 1,744	(-) 3,948	
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,056	2,406	2,971	3,723	3,987	
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,327	3,515	3,596	3,850	3,664	
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	16	12	9	90	90	
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.09	0.13	0.19	3.84	5.24	
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) [@]	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609	
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	28,767	33,480	39,069	44,583	51,831	
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	1,475	1,832	1,743	1,248*	1,173	
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,513	2,951	2,805	2,805	2,105	

31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	96	141	182	297	260
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)	266	155.71	582.13	1,007.56	631.94
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16
कुल व्यय/राजस्व प्राप्ति	1.17	1.30	1.29	1.22	1.29
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.80	0.81	0.84	0.83	0.83
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.40	0.40	0.39	0.38	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.24	0.28	0.26	0.26	0.24
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.18	0.19	0.15	0.16	0.17
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.18	0.18	0.15	0.16	0.15
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	(+) 0.007	(-) 0.006	(-) 0.011	(-) 0.002	(-) 0.009
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	(-) 0.018	(-) 0.036	(-) 0.035	(-) 0.028	(-) 0.036
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	(-) 0.004	(-) 0.021	(-) 0.018	(-) 0.009	(-) 0.018
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(-) 0.417	(+) 0.157	(+) 0.302	(+) 0.070	(+) 0.249
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.006	(-) 0.020	(-) 0.027	(-) 0.021	(-) 0.027
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.19	0.21	0.22	0.23	0.24
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.66	1.65	1.84	1.79	1.91
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्ति (प्रतिशत में)	34.00	19.55	29.38	17.35	22.87
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.30	0.11	5.10	15.21	22.69
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.95	0.93	0.90	0.96	0.94

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

* बदला हुआ प्रपत्र

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

परिशिष्ट-1.4

भाग अ

(संदर्भ: प्रस्तर-1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 3 एवं 33)

वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
विविध मदें	2016-17	2017-18	विविध मदें	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.
खण्ड - अ राजस्व					
I-राजस्व प्राप्तियाँ	24,888.97	27,104.57	I-राजस्व व्यय	25,271.50	29,082.69
(i) कर राजस्व	10,897.31	10,164.93	सामान्य सेवायें	9,934.09	12,408.50
(ii) करेत्तर राजस्व	1,345.82	1,769.53	सामाजिक सेवायें	10,528.57	10,929.44
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	6,411.57	7,084.91	शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	5,366.18	6,454.08
(iv) गैर-योजनागत अनुदान	823.72	714.27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,390.18	1,555.39
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,532.33	1,620.99	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	829.93	619.00
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	3,878.22	4,466.94	सूचना एवं प्रसारण	98.16	40.34
(vii) अन्य अनुदान जी एस टी के लागू होने के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	--	1,283.00	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	163.40	246.27
			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	117.40	134.84
			समाज कल्याण एवं पोषण	2,522.78	1,859.91
			अन्य	40.54	19.61
			आर्थिक सेवायें	3,902.66	4,276.21
			कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1,774.58	2,132.20
			ग्राम्य विकास	1,247.79	1,266.40
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	...
			सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	360.22	407.44
			ऊर्जा	18.20	12.08
			उद्योग एवं खनिज	93.25	108.38
			परिवहन	314.81	236.05
			विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण	19.78	20.74
			सामान्य आर्थिक सेवायें	74.03	92.92
			सहायता अनुदान एवं अंशदान	906.18	1,468.54
योग	24,888.97	27,104.57	योग	25,271.50	29,082.69
II- खण्ड ब को अंतरित राजस्व घाटा	382.53	1,978.12	II- खण्ड-ब को अन्तरित राजस्व अधिशेष		
योग	25,271.50	29,082.69	योग	25,271.50	29,082.69

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विविध मदें	2016-17	2017-18	विविध मदें	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.
III-स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष	1,464.88	2,785.95	III- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रारम्भिक ओवर ड्राफ्ट	--	--
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	IV- पूँजीगत परिव्यय	4,954.22	5,914.37
			सामान्य सेवाएँ	72.39	804.41
			सामाजिक सेवाएँ	947.61	1,085.67
			शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति	434.60	214.60
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	115.97	63.94
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	356.67	755.26
			सूचना एवं प्रसारण	--	---
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8.26	24.65
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	17.70	3.87
			अन्य सामाजिक सेवाएँ	14.41	23.35
			आर्थिक सेवाएँ	3,934.22	4,024.29
			कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	852.99	795.95
			ग्राम्य विकास	841.50	1,236.61
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	---
			सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	465.45	314.96
			ऊर्जा	132.00	87.00
			उद्योग एवं खनिज	138.63	5.98
			परिवहन	1,385.39	1,525.71
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	118.26	58.08
			योग	4,954.22	5,914.37
V-ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	34.85	33.50	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	165.05	76.83
विद्युत परियोजनाओं से	31.05	30.54	विद्युत परियोजनाओं के लिए	55.42	62.64
सरकारी कर्मचारियों से	2.15	1.97	सरकारी कर्मचारियों को	0.59	0.52
अन्यों से	1.65	0.99	अन्यों को	109.04	13.67
VI-राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	---	---	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	382.53	1,978.12

वित्त लेखे 2016-17 में प्रोफार्मा सुधार किए जाने के कारण 2015-16 के अन्त शेष से भिन्न हैं।

विविध मदें	2016-17	2017-18	विविध मदें	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.
VII-लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,500.67	7,526.08	VII-लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,127.40	1,720.72
अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	6,355.23	7,411.72	अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	1,092.67	1,680.40
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	---	---	ओवर ड्राफ्ट सहित अर्थापय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	---	---
केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	145.44	114.36	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	34.73	40.32
VIII-आकस्मिक निधि को विनियोग	---	---	VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोग	---	(-) 250.00
IX- आकस्मिकता निधि में अंतरित राशि	394.77	104.66	IX- आकस्मिकता निधि से व्यय	227.70	481.50
X- लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,855.02	37,571.25	X- लोक लेखा संवितरण	26,607.34	35,366.30
लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,528.82	1,840.79	लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,116.13	1,221.32
आरक्षित निधियाँ	280.00	232.34	आरक्षित निधियाँ	356.63	127.26
जमा एवं अग्रिम	3,276.70	4,727.47	जमा एवं अग्रिम	3,412.01	4,008.79
उचत एवं विविध	29,078.90	31,936.91	उचत एवं विविध	28,028.62	31,206.55
प्रेषण	(-) 6,309.40	(-)1,166.25	प्रेषण	(-) 6,306.05	(-) 1,197.62
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवर ड्राफ्ट	---	---	XI-अंत में रोकड़ शेष	2,785.95	2,733.60
			कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	--
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-) 11.83	(-) 11.51
			रिजर्व बैंक में जमा	1,157.65	1,171.00
			रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	1,640.13	1574.11
योग	36,250.19	48,021.44	योग	36,250.19	48,021.44

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर-1.9.1; पृष्ठ 32)

31 मार्च 2018 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 को	दायित्व	31.03.2018 को
34,555.05	आन्तरिक ऋण-	40,286.37
20,832.21	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	26,662.21
0.07	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.07
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
13,721.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	13,622.59
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
654.54	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	728.58
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
4.52	आयोजनेत्तर ऋण	4.04
649.49	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	724.01
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	---
--	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	---
750.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	500.00
1,058.71	उचत एवं विविध व्यय	1,789.07
6,390.16	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	7,009.63
2,626.08	जमा	3,344.75
1,545.46	आरक्षित निधियाँ	1,650.54
--	प्रेषण शेष	--
47,580.00	योग	55,308.94

परिशिष्ट-1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2017 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2018 को
40,274.30	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	46,188.67
3,123.74	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	3,209.24
37,150.56	अन्य पूँजीगत परिव्यय	42,979.43
1,726.65	ऋण एवं अग्रिम	1,769.97
132.41	विद्युत् परियोजनाओं के लिए ऋण	164.50
1,606.16	अन्य विकास ऋण	1,618.84
(-) 11.92	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 13.37
319.45	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूर्ति)	446.28
644.76	प्रेषण	613.39
--	उचंत एवं विविध शेष	--
0.42	विभागीय अधिकारी के अग्रिम	0.42
2,785.95	रोकड़	2,733.60
--	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--
1,157.65	रिजर्व बैंक में जमा	1,171.00
(-) 11.02	विभागीय रोकड़ शेष	(-)10.70
(-) 0.81	स्थायी अग्रिम	(-) 0.81
1,640.13	रोकड़ शेष निवेश	1,574.11
1,828.47	सरकारी लेखों में घाटा	3,556.59
2,793.06	घटायें (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य अनिर्धारित शेषों के बटवारे के कारण प्रोफॉर्मा में बदलाव)	--
	i. घटायें -चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को	--
382.53	ii. जोड़े -चालू वर्ष के राजस्व घाटा को	1,978.12
--	iii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	(-) 250.00
--	iv. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	--
4,239.00	v. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	1,828.47
47,580.00	योग	55,308.92

परिशिष्ट-1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा।

परिशिष्ट-1.4 में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य हास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। "रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 1,168.24 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: प्रस्तर-1.8.3; पृष्ठ 29)

विकासीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	माध्य सरकारी पूँजी	मूल्यहासित लागत पर अवरुद्ध परिसंपत्तियां	वर्ष के दौरान उपबंधित मूल्यहास	आवर्त	कुल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खंड, रुड़की	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	-	22.33	25.16	20,991.81	(-) 10,791.29	-	(-) 10,791.29	-
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	-	13.00	1.37	14,297.23	(-) 2,786.73	-	(-) 2,786.73	-

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्ययाधिक्य (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य की प्रतिशतता
पूँजीगत (भारित)						
1.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	26,40.23	76,51.62	50,11.39	1,89.81
पूँजीगत (दत्तमत)						
2.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	23.03	26.75	3.72	16.15
3.	20	सिंचाई एवं बाढ़	2,92.18	3,37.88	45.70	15.64
4.	22	लोक निर्माण	13,69.20	13,95.28	26.08	1.90
5.	25	खाद्य	19.27	13,41.66	13,22.39	68,62.43
6.	27	वन	53.95	57.56	3.61	6.69
योग			43,97.86	1,08,10.75	64,12.89	1,45.82

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.4; पृष्ठ 55)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें, ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान (पूँजीगत-दत्तमत)	18.03	5.00	23.03	26.75	3.72
2.	20	सिंचाई एवं बाढ़ (पूँजीगत-दत्तमत)	2,84.98	7.20	2,92.18	3,37.88	45.70
3.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	12,44.20	1,25.00	13,69.20	13,95.28	26.08
4.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	18.27	1.00	19.27	13,41.66	13,22.39
योग			15,65.48	1,38.20	17,03.68	31,01.57	13,97.89

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.5; पृष्ठ 55)

कुल व्यय का अंतिम तिमाही (जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक) में 50 प्रतिशत या मार्च 2018 में 25 प्रतिशत से अधिक व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष योजना/ सेवा	जनवरी-मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2018 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय (अप्रैल से मार्च 2018)	निम्न माह के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					मार्च 2018	जनवरी-मार्च 2018
1.	2030	10.67	8.67	22.08	39.27	48.32
2.	2040	1,11.94	95.83	1,88.08	50.95	59.52
3.	2215	1,33.08	1,04.80	4,14.32	25.29	32.12
4.	2216	1.35	0.83	2.37	35.02	56.96
5.	2225	1,71.73	91.66	2,46.23	37.23	69.74
6.	2245	1,87.34	1,59.32	4,08.97	38.96	45.81
7.	2250	12.26	6.35	18.94	33.53	64.73
8.	2251	0.52	0.19	0.67	28.36	77.61
9.	2404	24.01	10.70	41.57	25.74	57.76
10.	2405	8.60	5.85	15.96	36.65	53.88
11.	2408	1,48.12	28.05	1,73.37	16.18	85.44
12.	2425	40.30	25.68	62.03	41.40	64.97
13.	2701	10.74	9.64	14.20	67.89	75.63
14.	2711	3.71	3.43	4.90	70.00	75.71
15.	2801	0.22	0.20	0.29	68.97	75.86
16.	2851	51.37	34.79	99.10	35.11	51.84
17.	3055	16.03	11.66	38.21	30.52	41.95
18.	3452	42.84	16.46	57.97	28.39	73.90
19.	4055	8.20	6.71	14.34	46.79	57.18
20.	4202	1,58.06	1,11.29	2,14.60	51.86	73.65
21.	4210	52.02	27.37	63.94	42.81	81.36
22.	4216	15.90	10.10	19.47	51.87	81.66
23.	4225	23.03	17.97	24.65	72.90	93.43
24.	4235	3.59	3.40	3.87	87.86	92.76
25.	4250	9.13	7.63	23.35	32.68	39.10
26.	4401	8.81	1.98	3.37	58.75	2,61.42
27.	4403	0.97	0.80	0.97	82.47	1,00.00
28.	4405	2.67	2.66	2.67	99.63	1,00.00
29.	4406	45.79	34.67	57.87	59.91	79.13
30.	4702	32.24	14.07	32.32	43.53	99.75
31.	4801	56.51	36.83	87.01	42.33	64.95
32.	4851	3.42	2.05	3.42	59.94	1,00.00
33.	5055	23.44	20.84	24.92	83.63	94.06
योग		14,18.61	9,12.48	23,86.03	38.24	59.45

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.1; पृष्ठ 56)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क-राजस्व (दत्तमत)					
1.	04- न्यायिक प्रशासन	1,52.55	1,44.35	8.20	11.18
2.	05- निर्वाचन	43.80	41.13	2.67	0.55
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	17,33.14	9,29.37	8,03.77	19.52
4.	08- आबकारी	23.04	22.82	0.22	2.37
5.	11-शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	63,91.32	62,30.77	1,60.55	2,78.86
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17,99.45	14,41.16	3,58.30	1,51.88
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,51.69	5,84.16	67.53	1,03.72
8.	15-कल्याण	13,75.19	11,72.14	2,03.05	1,21.78
9.	19-ग्रामीण विकास	11,75.13	6,54.44	5,20.69	37.13
10.	20-सिंचाई एवं बाढ़	4,40.66	4,07.62	33.04	3.54
11.	22-लोक निर्माण	6,92.13	6,41.84	50.29	13.33
12.	23- उद्योग	1,59.30	1,40.44	18.86	24.16
13.	24-परिवहन	51.95	49.59	2.36	7.08
14.	25- खाद्य	2,34.36	1,82.35	52.01	3.35
15.	27- वन	6,21.70	5,50.89	70.81	12.10
16.	28-पशुपालन	2,50.49	2,38.50	11.99	10.33
17.	29-उद्यान विकास	2,55.29	2,15.63	39.66	15.82
18.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	8,57.27	7,61.09	96.18	1,48.94
19.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2,77.61	2,25.08	52.53	37.82
कुल राजस्व (दत्तमत)		1,71,86.07	1,46,33.37	25,52.70	10,03.46
ख - राजस्व (भारित)					
1.	02-राज्यपाल	10.28	8.22	2.06	0.12
2.	04- न्यायिक प्रशासन	36.02	32.22	3.80	3.40
3.	07- वित्त,कर,योजनाएँ,सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	46,33.83	39,88.18	6,45.65	0.50
4.	09-लोक सेवा आयोग	23.88	14.37	9.51	0.60
कुल राजस्व (भारित)		47,04.01	40,42.99	6,61.02	4.62
ग-पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	7,08.40	5,82.75	1,25.65	20.50
2.	07-वित्त,कर,योजनाएँ,सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,47.00	1,89.58	2,57.41	5.00
3.	11-शिक्षा,खेलकूद,युवा कल्याण एवं संस्कृति	2,42.14	1,65.17	76.97	35.00
4.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,23.85	63.94	59.91	22.70
5.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,42.81	6,37.51	5.30	1,88.19
6.	21.उर्जा	3,26.00	1,42.33	1,83.67	13.00
7.	23- उद्योग	52.83	5.98	46.85	10.91
8.	26- पर्यटन	62.30	58.08	4.22	1.00
9.	28-पशुपालन	7.34	3.64	3.70	0.50
10.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,63.25	2,44.35	18.90	42.99
11.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	89.46	72.52	16.94	19.71
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		29,65.38	21,65.85	7,99.52	3,59.50
महायोग		2,48,55.46	2,08,42.21	40,13.24	13,67.58

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.2; पृष्ठ 56)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	दत्तमत/भारित	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/बचत(-)
1.	04	न्यायिक प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	2014-00-105-03	(+)300.00	(-)882.20
			राजस्व-दत्तमत	2014-00-105-04	(-)40.00	(-)244.48
			राजस्व-दत्तमत	2014-00-108-03	(-)260.00	(-)146.73
2.	05	निर्वाचन	राजस्व-दत्तमत	2015-00-103-05	(+)26.84	(+)51.00
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	2070-00-107-03	(-)67.00	(-)1747.00
			राजस्व-दत्तमत	2070-00-107-04	(+)67.00	(-)68.36
			राजस्व-दत्तमत	2245-80-102-02	(-)8.00	(-)2137.87
4.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	राजस्व-दत्तमत	2030-01-101-03	(+)151.00	(+)58.06
			राजस्व-दत्तमत	2030-02-101-03	(-)179.50	(-)44.25
			राजस्व-दत्तमत	2030-03-001-03	(+)28.50	(-)49.12
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-001-03	(+)34.00	(-)135.77
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-101-03	(+)367.00	(-)456.32
			राजस्व-दत्तमत	2040-00-800-05	(-)401.00	(-)181.23
			राजस्व-दत्तमत	2049-60-701-03	(+)25.00	(-)21.73
			राजस्व-दत्तमत	2049-60-701-05	(-)25.00	(-)3475.00
			राजस्व-दत्तमत	2054-00-095-03	(+)18.50	(-)30.75
			राजस्व-दत्तमत	2054-00-097-03	(-)18.50	(-)239.91
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-192-03	(+)1400.00	(+)430.19
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-193-03	(-)1400.00	(-)611.60
			राजस्व-दत्तमत	3604-01-193-04	(-)1300.00	(-)13428.32
			राजस्व-दत्तमत	3604-02-198-03	(+)1300.00	(-)81.48
			पूँजीगत-दत्तमत	4216-02-800-16	(-)1.00	(-)49.00
			पूँजीगत-दत्तमत	6003-00-111-03	(-)1971.00	(-)10585.65
5.	10	पुलिस एवं कारागार	राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-03	(-)267.31	(-)86.30
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-04	(+)194.54	(-)486.29
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-05	(-)1.75	(-)16.05
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-06	(-)12.30	(-)43.47
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-001-10	(-)34.65	(-)51.36
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-003-04	(+)8.50	(-)36.13
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-03	(-)40.09	(-)467.65
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-04	(-)20.60	(-)115.94
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-101-05	(+)8.50	(-)36.71
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-03	(-)478.42	(-)662.92
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-04	(-)104.70	(-)150.38
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-104-05	(-)2.10	(-)12.85
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-108-04	(-)265.57	(-)108.45
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-03	(+)491.45	(-)3198.77
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-04	(+)110.67	(-)47.13

			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-05	(+)248.59	(-)160.00
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-109-07	(+)28.78	(-)21.81
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-111-03	(+)172.00	(-)20.18
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-113-04	(-)4.42	(-)51.99
			राजस्व-दत्तमत	2055-00-116-03	(-)0.50	(-)28.83
6.	11	शिक्षा ,खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व-दत्तमत	2202-01-101-01	(+)1828.68	(-)1592.68
			राजस्व-दत्तमत	2202-01-101-04	(-)1600.68	(-)19969.17
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-101-04	(+)254.00	(-)79.01
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-03	(-)368.00	(-)9401.56
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-07	(+)686.12	(-)130.97
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-16	(-)850.12	(-)437.81
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-109-19	(+)24.80	(-)24.48
			राजस्व-दत्तमत	2202-02-110-04	(-)101.24	(-)417.29
			राजस्व-दत्तमत	2202-03-103-03	(-)1063.74	(-)317.93
			राजस्व-दत्तमत	2202-03-103-04	(+)206.74	(-)322.56
			राजस्व-दत्तमत	2202-03-104-03	(+)857.00	(-)63.76
			राजस्व-दत्तमत	2204-00-104-21	(+)3.66	(-)10.00
			राजस्व-दत्तमत	2205-00-001-03	(+)64.40	(-)47.82
			पूँजीगत-दत्तमत	4202-01-203-03	(-)6.14	(-)14.83
			7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व-दत्तमत
राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-03	(+)10.84				(-)111.49
राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-04	(+)1.50				(-)22.60
राजस्व-दत्तमत	2210-02-101-08	(-)1128.98				(-)859.75
राजस्व-दत्तमत	2210-02-102-04	(+)20.36				(-)19.53
राजस्व-दत्तमत	2210-04-102-03	(-)20.36				(-)46.86
पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-10	(-)156.95				(-)43.05
पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-17	(+)50.00				(-)69.22
			पूँजीगत-दत्तमत	4210-01-110-23	(+)100.00	(-)100.00

परिशिष्ट-2.6 (अ)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.3; पृष्ठ 56)

वर्ष 2017-18 के दौरान दत्तमत से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	01-विधायिका	4059-80-051-02	20.00	18.67	93.35
2.	03-मंत्रियों का समूह	2013-00-101-03	5,70.00	3,67.70	64.51
		2013-00-101-04	35.00	20.96	59.89
		2013-00-108-03	2,00.00	83.84	41.92
3.	05-चुनाव	2015-00-105-03	0.10	0.10	1,00.00
		2015-00-105-04	0.10	0.10	1,00.00
4.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2070-00-107-01	2,00.04	2,00.04	1,00.00
		2070-00-107-06	40.05	40.05	1,00.00
		2070-00-107-11	0.09	0.09	1,00.00
		4059-60-051-12	2,50.00	249.11	99.64
5.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	2052-00-090-11	26.82	18.61	69.39
		2052-00-090-13	26.00	26.00	1,00.00
		2052-00-091-04	1,15.58	54.79	47.40
		2052-00-091-10	1,12.39	56.59	50.35
		2052-00-091-11	7.25	4.02	55.45
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-02-800-25	29.50	12.38	41.97
		2204-00-001-06	20.00	20.00	1,00.00
		2204-00-001-17	6.00	5.62	93.67
		2204-00-104-03	5.00	5.00	1,00.00
		2204-00-104-07	60.00	45.01	75.02
		2204-00-104-11	65.00	26.92	41.42
		2204-00-104-12	50.00	46.70	93.40
		2204-00-104-14	15.00	15.00	1,00.00
		2204-00-104-15	15.00	4.90	32.67
		2204-00-104-29	4.00	4.00	1,00.00
		2204-00-104-30	50.00	44.00	88.00
		2204-00-104-31	10.00	10.00	1,00.00
		2204-00-104-33	30.00	30.00	1,00.00
		2204-00-104-34	10.00	10.00	1,00.00
		2204-00-104-36	20.00	20.00	1,00.00
		4202-01-202-01	55,10.03	20,00.01	36.30
4202-01-800-31	50.00	50.00	1,00.00		
7.	14- सूचना	2220-01-105-03	4,92.57	1,56.04	31.69
		2220-01-105-06	50.00	33.98	67.96
		2220-60-103-04	1.00	0.40	40.00
8.	15-कल्याण	2250-00-800-17	10.00	4.30	43.00

9.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	2401-00-001-01	1,71,15.02	52,75.71	30.83
		2415-80-120-05	1,00.00	1,00.00	1,00.00
		2415-80-120-08	55.00	55.00	1,00.00
		2415-80-120-11	80.00	80.00	1,00.00
		2415-80-120-12	80.00	80.00	1,00.00
		2415-80-120-14	50.00	22.40	44.80
		2415-80-120-16	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-17	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-18	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-19	70.00	70.00	1,00.00
		2415-80-120-20	60.50	51.33	84.84
		2415-80-120-21	60.00	54.54	90.90
		2415-80-120-22	60.00	60.00	1,00.00
		2415-80-120-24	12.00	8.00	66.67
		4401-00-800-07	50.00	50.00	1,00.00
		4401-00-800-08	5,00.00	5,00.00	1,00.00
		6401-00-109-12	0.01	0.01	1,00.00
10.	22-लोक निर्माण	2059-80-001-05	11,50.00	3,73.40	32.47
		3054-01-337-01	30,00.01	18,97.09	63.24
		5054-05-337-03	5,00.00	5,00.00	1,00.00
		5054-80-190-03	2,00.00	2,00.00	1,00.00
11.	28- पशुपालन	2403-00-101-01	9,50.83	3,40.38	35.80
		2403-00-104-05	2.52	2.52	1,00.00
		2403-00-106-15	25.00	25.00	1,00.00
		2403-00-107-01	1,40.00	1,40.00	1,00.00
		2403-00-107-05	2.82	2.82	1,00.00
		4403-00-101-01	40.02	23.37	58.40
		4403-00-101-09	1,50.00	1,50.00	1,00.00
		4403-00-101-10	1,50.00	69.68	46.45
		4403-00-102-02	50.00	50.00	1,00.00
		4405-00-001-03	25.00	25.00	1,00.00
		4405-00-101-01	2,69.39	1,02.51	38.05
12.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2403-00-101-01	281.95	2,30.15	81.63
		2403-00-104-01	0.01	0.01	1,00.00
		2403-00-104-02	8.33	8.33	1,00.00
		2403-00-106-02	5,56.50	2,07.58	37.30
		2403-00-107-01	71.33	71.33	1,00.00
		2403-00-113-01	0.01	0.01	1,00.00
		4403-00-101-01	0.01	0.01	1,00.00
		4403-00-101-02	0.01	0.01	1,00.00
13.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2401-00-114-01	5.00	2.02	40.40
		2405-00-796-03	60.00	25.21	42.02
		4403-00-101-04	25.00	25.00	1,00.00
		5054-04-796-01	30.00	29.70	99.00
योग			3,43,02.79	14,8,03.05	43.15

परिशिष्ट-2.6 (ब)

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.3; पृष्ठ 56)

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभारित विनियोग से किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान	अभ्यर्पण राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	02- राज्यपाल	2012-03-101-03	15.50	7.70	49.68
		2012-03-103-04	0.10	0.10	1,00.00
		2012-03-103-05	0.10	0.10	1,00.00
		2012-03-105-03	51.88	16.84	32.46
2.	22- लोक निर्माण	2059-01-053-03	3,50.00	1,10.85	31.67
योग			4,17.58	1,35.59	32.47

परिशिष्ट-2.7
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.4; पृष्ठ 56)
वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	01- विधायिका	43.65	0.46	0.47	0.01
2.	03- मंत्रियों का समूह	64.30	11.99	12.08	0.09
3.	14- सूचना	43.46	3.30	3.35	0.05
योग		1,51.41	15.75	15.90	0.15

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 57)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
1.	04	न्यायिक प्रशासन (राजस्व-भारित)	39.42	32.22	7.20
2.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	46,34.33	39,88.18	6,46.15
3.		वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-दत्तमत)	4,52.00	1,89.59	2,62.41
4.	09	लोक सेवा आयोग (राजस्व - भारित)	24.48	14.37	10.11
5.	10	पुलिस एवं कारागार (पूँजीगत - दत्तमत)	26.50	18.07	8.43
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व - दत्तमत)	19,51.34	14,41.16	5,10.18
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत - दत्तमत)	1,46.55	63.94	82.61
7.	13	जलपूर्ति, आवास, एवं शहरी विकास (पूँजीगत - दत्तमत)	8,31.00	6,37.51	1,93.49
8.	15	कल्याण (पूँजीगत - दत्तमत)	64.55	20.54	44.01
9.	16	श्रम एवं रोजगार (राजस्व- दत्तमत)	2,37.85	2,18.79	19.06
10.	19	ग्रामीण विकास (पूँजीगत- दत्तमत)	11,83.16	11,28.00	55.16
11.	20	सिंचाई एवं बाढ़ (राजस्व- दत्तमत)	4,44.20	4,07.62	36.58
12.	21	ऊर्जा (पूँजीगत- दत्तमत)	3,39.00	1,42.33	1,96.67
13.	23	उद्योग (राजस्व-दत्तमत)	1,83.45	1,40.44	43.01
14.		उद्योग (पूँजीगत-दत्तमत)	63.74	5.98	57.76
15.	24	परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	59.03	49.59	9.44
16.		परिवहन (पूँजीगत-दत्तमत)	1,52.13	1,32.90	19.23
17.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,37.71	1,82.35	55.36
18.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	66.77	58.37	8.40
		पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	63.30	58.08	5.22
19.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	6,33.80	5,50.89	82.91
20.	29	उद्यान विकास (राजस्व-दत्तमत)	2,71.11	2,15.63	55.48
योग			1,21,05.42	96,96.55	24,08.87

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 57)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
राजस्व-दत्तमत				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	19.38	0.53	18.85
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	8,23.29	2.53	8,20.76
3.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,26.15	5.79	2,20.36
4.	08- आबकारी	2.59	0.00	2.59
5.	10- पुलिस एवं कारागार	73.90	2.25	71.65
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	4,39.41	8.55	4,30.86
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,10.18	0.00	5,10.18
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,71.25	0.27	1,70.98
9.	15-कल्याण	3,24.83	1.05	3,23.78
10.	16-श्रम एवं रोजगार	19.06	0.00	19.06
11.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	64.05	42.03	22.02
12.	18-सहकारी	2.84	0.00	2.84
13.	19-ग्रामीण विकास	5,57.81	0.52	5,57.29
14.	20-सिंचाई एवं बाढ़	36.58	0.00	36.58
15.	22-लोक निर्माण	63.62	47.68	15.94
16.	23- उद्योग	43.01	0.00	43.01
17.	24-परिवहन	9.43	0.00	9.43
18.	25- खाद्य	55.36	0.00	55.36
19.	26- पर्यटन	8.40	0.00	8.40
20.	27- वन	82.90	0.00	82.90
21.	28-पशुपालन	22.33	19.02	3.31
22.	29-उद्यान विकास	55.47	0.00	55.47
23.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	2,45.12	8.14	2,36.98
24.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	90.34	5.24	85.10
योग		39,47.30	1,43.60	38,03.70
राजस्व-भारित				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	7.20	0.00	7.20
2.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	6,46.15	0.00	6,46.15
3.	09-लोक सेवा आयोग	10.11	0.00	10.11
4.	22-लोक निर्माण	3.95	1.24	2.71
योग		6,67.41	1.24	6,66.17
पूँजीगत-दत्तमत				
1.	04-न्यायिक प्रशासन	3.76	0.00	3.76
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,46.15	2.49	1,43.66
3.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2,62.41	0.00	2,62.41
4.	10-पुलिस एवं कारागार	8.43	0.00	8.43

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

5.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	1,11.97	5.79	1,06.18
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	82.61	0.00	82.61
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,93.49	0.00	1,93.49
8.	15-कल्याण	44.01	0.00	44.01
9.	16-श्रम एवं रोजगार	3.54	0.00	3.54
10.	18-सहकारिता	4.69	0.00	4.69
11.	19-ग्रामीण विकास	55.16	0.00	55.16
12.	21-ऊर्जा	1,96.67	0.00	1,96.67
13.	23-उद्योग	57.77	0.00	57.77
14.	24-परिवहन	19.23	0.00	19.23
15.	26-पर्यटन	5.22	0.00	5.22
16.	29-उद्यान विकास	1.46	0.00	1.46
17.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	61.89	1.29	60.60
18.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	36.65	1.49	35.16
योग		12,95.11	11.06	12,84.05
पूँजीगत-भारित				
1.	09-लोक सेवा आयोग	3.00	0.00	3.00
योग		3.00	0.00	3.00
महायोग		59,12.82	1,55.90	57,56.92

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.5; पृष्ठ 57)

30/31 मार्च 2018 को दत्तमत अनुदान की ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2013-मंत्रियों का समूह	64.30	12.08	18.79
2.	17	2401-कृषि कर्म	6,93.73	21.75	3.14
		2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2,07.58	20.28	9.77
3.	22	2059-लोक निर्माण	4,73.90	16.78	3.54
		3054-सड़क तथा सेतु	2,29.46	30.43	13.26
		5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	13,66.00	48.69	3.56
4.	28	2403-पशुपालन	2,02.32	16.49	8.15
योग			32,37.29	1,66.50	5.14

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6.6; पृष्ठ 57)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत					
1.	03	मंत्री परिषद	64.30	11.99	18.65
2.	04	न्यायिक प्रशासन	1,63.72	19.38	11.84
3.	05	चुनाव	44.35	3.22	7.26
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	17,52.67	8,23.29	46.97
5.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	76,29.63	2,26.15	2.96
6.	08	आबकारी	25.41	2.59	10.19
7.	10	पुलिस एवं कारागार	17,34.49	73.90	4.26
8.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	66,70.18	4,39.41	6.59
9.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19,51.34	5,10.18	26.15
10.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	7,55.41	1,71.25	22.67
11.	14	सूचना	43.46	3.30	7.59
12.	15	कल्याण	14,96.97	3,24.83	21.70
13.	16	श्रम एवं रोजगार	2,37.85	19.06	8.01
14.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	9,01.30	64.05	7.11
15.	18	सहकारिता	62.07	2.84	4.58
16.	19	ग्रामीण विकास	12,12.25	5,57.81	46.01
17.	20	सिंचाई व बाढ़	4,44.20	36.58	8.24
18.	22	लोक निर्माण	7,05.46	63.62	9.02
19.	23	उद्योग	1,83.45	43.01	23.45
20.	24	परिवहन	59.03	9.43	15.97
21.	25	खाद्य	2,37.71	55.36	23.29
22.	26	पर्यटन	66.77	8.40	12.58
23.	27	वन	6,33.80	82.90	13.08
24.	28	पशुपालन	2,60.82	22.33	8.56
25.	29	उद्यान विकास	2,71.11	55.47	20.46
26.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	10,06.21	2,45.12	24.36
27.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	3,15.42	90.34	28.64
योग			2,89,99.44	39,66.99	13.68
राजस्व-भारित					
1.	01	विधायिका	2.39	1.00	41.84
2.	02	राज्यपाल	10.40	2.18	20.96
3.	04	न्यायिक प्रशासन	39.42	7.20	18.26
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2.39	0.51	21.34
5.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	46,34.33	6,46.15	13.94
6.	09	लोक सेवा आयोग	24.48	10.11	41.30
7.	22	लोक निर्माण	7.30	3.95	54.11
योग			47,20.71	6,71.10	2,11.75

पूँजीगत-दत्तमत					
1.	03	मंत्री परिषद	25.00	1.28	5.12
2.	04	न्यायिक प्रशासन	18.50	3.76	20.32
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	728.90	146.15	20.05
4.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	452.00	262.41	58.06
5.	10	पुलिस एवं कारागार	26.50	8.43	31.81
6.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	277.14	111.97	40.40
7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	146.55	82.61	56.37
8.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	831.00	193.49	23.28
9.	15	कल्याण	64.55	44.01	68.18
10.	16	श्रम एवं रोजगार	14.25	3.54	24.84
11.	18	सहकारिता	6.25	4.69	75.04
12.	19	ग्रामीण विकास	1183.16	55.16	4.66
13.	21	ऊर्जा	339.00	196.67	58.01
14.	23	उद्योग	63.74	57.77	90.63
15.	24	परिवहन	152.13	19.23	12.64
16.	26	पर्यटन	63.30	5.22	8.25
17.	28	पशुपालन	7.84	4.21	53.70
18.	29	उद्यान विकास	8.00	1.46	18.25
19.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	306.24	61.89	20.21
20.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	109.17	36.65	33.57
योग			4823.22	1300.60	26.97
पूँजीगत-भारित					
1.	09	लोक सेवा आयोग	3.00	3.00	1,00.00
योग			3.00	3.00	1,00.00
महायोग			3,85,46.37	59,41.69	15.41

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 67)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2017-18 के दौरान आहरित अग्रिम की स्थिति (अगस्त 2018 तक) जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	आकस्मिक निधि से अग्रिम	अप्रतिपूर्ति (अगस्त 2018)
1.	01-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	2011	1.96	1.96
2.	04- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	4059	10.00	10.00
3.	06- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	2245	4.86	4.86
4.	07- विक्री, व्यापार आदि पर कर	2040	0.01	0.01
5.	07- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	2052	6.08	6.08
6.	07- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	4216	3.96	3.96
7.	10- पुलिस	2055	2.54	2.54
8.	11- सामान्य शिक्षा	2202	25.94	25.94
9.	11-खेल कूद तथा युवा सेवार्ये	2204	0.07	0.07
10.	12-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2210	0.32	0.32
11.	12- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	4210	1.90	1.90
12.	14- सूचना तथा प्रचार	2220	24.96	24.96
13.	15-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2235	0.90	0.90
14.	17-कृषि कर्म	2401	0.93	0.93
15.	20- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	4700	12.00	12.00
16.	20- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4711	1.50	1.50
17.	22- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5054	1,12.33	1,12.33
18.	30- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	0.06	0.06
19.	30- पशुपालन	2403	0.56	0.56
20.	30- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	4215	3.83	3.83
21.	31- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	0.79	0.79
22.	31- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5054	16.00	16.00
योग			2,31.50	2,31.50

स्रोत:महालेखाकर (ले. एवं ह.), उत्तराखण्ड के वीएलसी आँकड़ों से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 67)

वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो अप्रतिपूर्ति रहा (अगस्त 2018 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	प्रतिपूर्ति न हुई आकस्मिक निधि	
		2016-17	योग
1.	2013	5.00	5.00
2.	2014	0.05	0.05
3.	2205	1.33	1.33
4.	2210	4.33	4.33
5.	2215	1.71	1.71
6.	2217	1.33	1.33
7.	2245	1.77	1.77
8.	2401	2.50	2.50
9.	2405	0.01	0.01
10.	2406	13.12	13.12
11.	2851	32.78	32.78
12.	2853	0.10	0.10
13.	3452	1.00	1.00
14.	3054	0.27	0.27
15.	4059	11.15	11.15
16.	4210	2.00	2.00
17.	4405	0.15	0.15
18.	5054	77.74	77.74
योग		1,56.34	1,56.34

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7 (अ); पृष्ठ 68)

वर्ष 2017-18 तक के लम्बित डी सी बिल (31मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	मुख्य शीर्ष	ए सी बिलों की संख्या	राशि
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	2210	03	3.00
2.	संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, देहरादून	2403	02	0.70
3.	सहायक जिला चुनाव अधिकारी, उत्तरकाशी	2015	04	8.13
4.	पंचायती राज (चुनाव), पिथौरागढ़	2515	03	34.51
5.	मुख्य परिवीक्षाधीन अधिकारी, महिला कल्याण, देहरादून	2235	01	0.05
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पिथौरागढ़	2235	01	2.63
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, अल्मोड़ा	2235	02	9.84
योग			16	58.86

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 75)

उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अलग से प्रत्येक वर्ष के लिये मुख्य शीर्ष एवं विभागवार विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	डी डी ओ का नाम	वर्ष जिसमें अनुदान जारी किया गया	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2008-09	12	2.80
		जिला समाज कल्याण अधिकारी			
		कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका			
2.	उपलब्ध नहीं	जिला मजिस्ट्रेट	2009-10	4	0.81
		जिला पंचायती राज अधिकारी			
3.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2012-13	2	2.05
4.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2013-14	7	10.21
		कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत			
		जिला मजिस्ट्रेट			
		कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका			
5.	3604 एवं 2215	जिला मजिस्ट्रेट	2014-15	24	80.51
6.	3604	जिला मजिस्ट्रेट	2015-16	14	27.24
7.	3604	जिला मजिस्ट्रेट	2016-17	39	41.30
		जिला पंचायती राज अधिकारी			
		उपनिदेशक, एस. वी. एन.			
8.	3604	जिला पंचायती राज अधिकारी	2017-18	107	178.12
		कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत			
		कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका			
		प्रशासक, नगर निगम			
		कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका			
		व. वित्त अधिकारी, नगर निगम			
कुल (दिनांक 31.03.2018 को)				209	343.04

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 77)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुड़की	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2006-07	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

परिशिष्ट-4.1

शब्दावली

क्र. सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्वयता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत (रा ल ब) निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण के समर्थन हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पादवृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्त बताती है कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पादअनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पादअनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पादअनुपात गिरेगा।

9.	ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्तियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>